राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का नवां दिवस [संख्या : 6

बुधवार,

4 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) बजट का....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : रेट बढ़ा दी गयी... (व्यवधान) भारी बिल आ रहे हैं और अकाल राहत कार्य खोले नहीं जा रहे हैं... (व्यवधान) उदयपुर में जो आदिवासी अकाल राहत की मांग को लेकर बैठे थे उन पर लाठी बरसाई... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : 10 करोड़ का जो मैटर था... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मदन मोदी का पता नहीं है कि अस्पताल से उसको कहां ले गये। सरकार बिलकुल भी इस पर विचार नहीं कर रही है इसलिए उसको इस पर सोचना चाहिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बजट पर मैंने जो आरोप लगाये थे आज वह आरोप... (व्यवधान) यह प्रूव हो चुका है। पम्प सेटों की खरीददारी पर जो वाणिज्यिक कर छापा मिला था वह आज प्रूव हो चुका है कि इसमें कितना घोटाला हुआ और दूसरा ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी।

एक माननीय सदस्य : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात भी सुनी जाए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं..... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : 1997 में क्या हुआ था? ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 1997 में घोटाला हुआ. . (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : प्रश्न संख्या-91 । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 1997 में घोटाला हुआ.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं देख रहा हूं कि इस सदन में हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : राजस्थान में अकाल की स्थिति पर चर्चा नहीं...(व्यवधान) करनी चाहिए.....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : प्रश्न संख्या-91। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वाटर पाइप ..(व्यवधान) समाचार के बारे में लिखा है कि दिनांक 31 मार्च, 2000 को...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जनता से कोई वास्ता नहीं है...(व्यवधान) इनका जनता के दुःख-दर्द से कोई वास्ता नहीं है...(व्यवधान) यह किसी भी तरह की चर्चा नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी) : राजस्थान में लोकतंत्र के लिये ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी...(व्यवधान) हमारा आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान) राजस्थान में अकाल है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक अपराह्न 2.30 तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.03 बजे 14.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(पुनः समवेत होने पर)

(14.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी। (व्यवधान)

सदन के पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

गृह विभाग

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं: —

(1) अधिसूचना संख्या प. 9(56) गृह-5/99 दिनांक 15.1.2001 जिसके द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2001 से प्रवृत किये जाने की तिथि नियत की गई है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 9 (56) गृह-5/99 दिनांक 26.1.2001 जिसके द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2001 विरचित किये गये हैं, एवं

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 9 (56) गृह (ग्रुप-5) 99 दिनांक 25.1.2001 जिसके द्वारा राज्य या लोक निकाय के कार्यकलापों के बारे में सामग्री या सूचना की प्रतियों तथा राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 के अधीन प्रथम अपील, द्वितीय अपील के लिए फीस का प्रावधान किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लालजी मीणा।

वन विभाग

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, अल्प बचत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वन विभाग

(श्री परसादी लाल)

की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 11 (35) वन/97 दिनांक 16.11.2000 जिसके द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम, 1977 में संशोधन किये गये हैं, एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ.4 (इ.ग.) 2000-2001/प्रवे-2/वस/तेपयो/3077 दिनांक 21.10.2000 जिसके द्वारा तेन्दु पत्ता इकाई गठन के सम्बन्ध में दिनांक 11.11.1999 की अधिसूचना को निष्प्रभावी करते हुए तेन्दु पत्ता उत्पादन के वन क्षेत्रों एवं अभयारण्य क्षेत्र फुलवाड़ी की नाल, सीता माता, बस्सी एवं शेरगढ़ को कतिपय इकाइयों में विभाजित किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का वित्त मंत्री संदेह के घेरे में आ गया है। (व्यवधान)..... और, उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध हो चुका है कि जिस प्रकार की व्यूह रचना हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जिस प्रकार से + + + कर रही है, मैं सोच रहा हूं कि हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में यह पहली बार इस प्रकार की घटना हुई होगी। मैं सोचता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी + + + और जिस बहुमत के घमंड में ये जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, मैं सोचता हूं, इससे ज्यादा खतरनाक और कोई स्थिति नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय। क्या यह वास्तव में, अगर यह बहुमत में इतना अधिक अभिमान है इसके कारण से 50 साल से लोकतंत्र की व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि बजट की जिस प्रकार की सैंक्टिटी है और बजट की इस प्रकार की आवश्यकता है.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान) लोकतंत्र की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन तो रखो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

कार्य सलाहकार समिति का 12वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह महुवा)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक 04 अप्रैल, 2001 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने 11वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सदन में दिनांक 05 अप्रैल, 2001 से 17 अप्रैल, 2001 तक विचारार्थ लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया :—

गुरुवार, 05 अप्रैल, 2001 से रविवार, 15 अप्रैल, 2001 तक	बैठक नहीं होगी
सोमवार, 16 अप्रैल, 2001 मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसादी लाल : (व्यवधान एवं नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान एवं नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशीजी।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी चौधरी।

(व्यवधान एवं नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : + + +

(व्यवधान एवं नारेबाजी)

राजस्थान क्लिनिकल स्थापन (विनियमन) विधेयक, 2001

श्री राजेन्द्र चौधरी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान क्लिनिकल स्थापन (विनियमन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान क्लिनिकल स्थापन (विनियमन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान क्लिनिकल स्थापन (विनियमन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.34 बजे, सोमवार, 16 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या–90

(स्थगित)

पंचायत समिति-जवाजा (अजमेर) की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

91. डा. के .सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति-जवाजा की विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु कोई ग्रामीण जल योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं और उन पर सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) उक्त पंचायत समिति स्थित भोमादा बांध में क्या पेयजल हेतु उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जल के उचित प्रयोग हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति-जवाजा के 3 गांवों (बाधमाल, कोटड़ा तथा कलंजर) हेतु वर्तमान हैण्ड पम्प योजना से पम्प व टैंक योजना में बदलने हेतु प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में हैं। योजना सही पाए जाने पर प्राथमिकता व धन उपलब्धी के अनुसार स्वीकृति तथा कार्य करवाना सम्भव होगा। वर्तमान में तीनों गांवों में मानदण्डों के अनुरूप पर्याप्त हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(2) जी, नहीं। भोमादाह बांध की वर्तमान स्थिति में भौगोलिक कारणों से जल का भण्डारण थोड़े समय ही रह पाता है। अत: पेयजल योजनाओं हेतु यह बांध अनुपयुक्त होने के कारण इस बांध से कोई पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

लाडपुरा (कोटा) के महादेवजी के मंदिर खाते की भूमि पर अतिक्रमण

92. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या चन्द्रेसल, तहसील-लाडपुरा, जिला-कोटा स्थित महादेवजी के मंदिर मूर्ति खाते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो खाते में दर्ज 55.12 हैक्टेयर भूमि को कब तक मुक्त करा लिया जाएगा?

(2) क्या उक्त भूमि 8.44 हैक्टेयर रंग तालाब उर्फ काला तालाब में बताई गई है? यदि हां, तो उस पर किसका कब्जा है तथा किस आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है?

(श्री मदन दिलावर)

(3) उक्त सम्बन्ध में क्या गत पांच वर्षों में कभी देवस्थान विभाग ने स्वतः ही या किसी शिकायत के आधार पर किसी अधिकारी/कर्मचारी से इस संबंध में जांच करवाई थी? यदि हां, तो उक्त जांच का निष्कर्ष क्या था तथा उक्त जांच अनुसार रंग तालाब उर्फ काला तालाब की लगभग 57 बीघा भूमि किसके कब्जे में थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों की मिली भगत से उक्त भूमि को हथियाने का षड्यंत्र चल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर की रिपोर्ट दिनांक 29.3.2001 के अनुसार उपरोक्त सभी 5 ग्रामों की 55.10 हैक्टेयर भूमि पर 13 व्यक्तियों का कब्जा काश्त पुजारी की सहमति से 35.51 हैक्टेयर में है तथा 3.39 हैक्टेयर भूमि स्वयं पुजारी के कब्जे काश्त में है एवं 16.20 हैक्टेयर भूमि मंदिर, श्मशान, खाल-खड्डर व पड़त है। विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) इसका विवरण बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित है।

(3) वर्ष 1997 में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षक, देवस्थान विभाग, कोटा द्वारा जांच की गई। जिसमें 29.5.97 को निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में भूमि पुजारी सरवन बन की बताई है।

(4) जी, नहीं। ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मंदिर श्री महादेवजी विराजमान चन्द्रेसल के खाते की भूमि पर स्वयं पुजारी द्वारा काश्त एवं पुजारी की सहमति के काश्त कर रहे व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	काश्त करने वाले व्यक्तियों का नाम	ग्राम	रकबा
1	2	3	4
1.	गिलूराम पुत्र श्योबक्ष जाति, गूजर सा. चन्द्रेसल	चन्द्रेसल	3.26
2.	धन्नालाल पुत्र कल्याण जाति धाकड़ सा. चन्द्रेसल	चन्द्रेसल	4.03
3.	हजारी लाल पुत्र धूल्या जाति गूजर सा. चन्द्रेसल	चन्द्रेसल	0.11
4.	जमना लाल पुत्र कल्याण जाति धाकड़ सा. चन्द्रेसल	चन्द्रेसल	8.52

1	2	3	4
5.	देवलाल पुत्र मंगला जाति मीणा सा. रामखेड़ली	चन्द्रेसल	2.09
6.	गोपीलाल पुत्र ओंकार लाल जाति धाकड़	" "	2.25
7.	देवलाल पुत्र सुख्खा गुजर सा. चन्द्रेसल	" "	0.55
8.	कन्हैया लाल पुत्र ओंकार लाल धाकड़ जाति धाकड़	रंग तालाब उर्फ	3.55
9.	लदूर लाल पुत्र शंकर लाल जाति धाकड़ सा. रंग तालाब	काला तालाब	8.44
10.	गुरूविन्दर सिंह पुत्र नायब सिंह सिख्खा सा. रंग तालाब	" "	1.01
11.	किशन चन्द्र, कन्हैया लाल पिसरान धन्नालाल जाति धाकड़ सा. नोटाना	नोटाना	0.95
12.	छीतर लाल पुत्र मंगला जाति मीणा सा. रामखेड़ली	रामखेड़ली	0.40
13.	किशन चन्द्र पुत्र बालकिशन जाति महाजन सा. टिपटा कोटा	दसलाना	0.55
		योग	35.51
14.	सरवन बन चेला अमरबन जाति गुसाई सा. चन्द्रेसल (पुजारी मंदिर द्वारा काश्त)	गुसाई चन्द्रेसल	3.39
15.	गैर. मु. मंदिर पड़त, श्मशान, खाल-खड्डर इत्यादि	" "	16.20
		कुल योग	**55.10**

जिला-जालौर की अपूर्ण नर्मदा नहर

93. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

जिला-जालौर हेतु नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

जिला-जालौर हेतु नर्मदा नहर का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर वर्ष 2010 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है. परन्तु गुजरात राज्य से जल प्राप्त होने पर परियोजना से वर्ष 2005 से आंशिक सिंचाई सुविधा प्रारम्भ कराने की संभावना है।

जिला-नागौर में आयोजित पशु मेले

94. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला-नागौर में पशुपालन विभाग द्वारा कौन-कौन से पशु मेलों का आयोजन

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

प्रतिवर्ष कहां-कहां और कब-कब किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में रामदेव पशु मेला नागौर, वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर विश्व प्रसिद्ध पशु मेले हैं? यदि हां, तो उक्त मेलों में गत पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से पशु बिकने के लिए आये और कितने पशु बिके? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बछड़ों की बिक्री पर रोक के कारण नागौर व अन्य जिले के पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और नागौरी नस्ल के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है? क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में तीन पशु मेलों का आयोजन निम्नांकित स्थानों पर व तिथियों को किया जाता है:—

(2) जी, हां। श्री रामदेव पशुमेला, नागौर एवं श्री वीर तेजाजी पशुमेला, परबतसर में पांच वर्षों में बिकने आये तथा बेचे गये पशुओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी, हां। किन्तु नागौरी नस्ल के समाप्त होने का खतरा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटीशन (एस.एल.पी.) संख्या-8220/2000 दायर की गई है जिसका निर्णय अभी लम्बित है। उक्त अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव का प्रारूप निर्णयार्थ राज्य सरकार पर विचाराधीन है।

क्र.सं.	नाम पशुमेला	तिथि	स्थान
1.	श्री रामदेव पशु मेला, नागौर	माघ शुक्ला 1 से माघ शुक्ला 15 (पूर्णिमा) तक	नागौर
2.	श्री वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर	श्रावण शुक्ला 15 (पूर्णिमा) से भाद्रपद 15 (अमावस्या) तक	परबतसर
3.	श्री बलदेव पशु मेला, मेड़तासिटी	चैत्र शुक्ला 1 से चैत्र शुक्ला 15 (पूर्णिमा) तक	मेड़तासिटी

श्री रामदेव पशु मेला, नागौर में बिकने आये पशु एवं बिके पशुओं का विवरण

क्र. सं.	पशु का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
		पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	गौवंश	20662	12352	18919	10836	15828	12375	17980	13550	10414	5820
2.	भैंसवंश	445	301	250	96	304	203	740	296	316	227
3.	अश्ववंश	312	107	285	88	258	78	279	75	305	105
4.	उष्ट्रवंश	9838	2713	10199	3370	10130	2696	11525	3481	8866	3095
5.	भेड़ वंश	2	–	5	–	–	–	–	–	–	–
6.	बकरी वंश	28	–	18	–	–	–	20	–	–	–
7.	गधे	28	–	7	–	–	–	–	–	–	–
8.	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	योग	31315	15473	29683	14390	26565	15352	30544	17402	19908	9247

श्री वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर

क्र. सं.	पशु का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000	
		पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय	पशु आमाद	पशु विक्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	गौवंश	17644	12996	25336	9708	16653	11479	14310	9249	13520	5970
2.	भैंसवंश	4124	1739	4267	1989	4391	1660	3942	1519	4412	1775
3.	अश्ववंश	35	7	96	12	36	5	44	4	29	4
4.	उष्ट्रवंश	5115	1722	7427	2053	6450	1778	5256	1433	5966	1269
5.	भेड़ वंश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बकरी वंश	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–
7.	गधे	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
8.	अन्य	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	योग	**26920**	**16464**	**37126**	**13762**	**27534**	**14922**	**23560**	**12205**	**23927**	**9018**

इन्दिरा गांधी नहर परियोजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

95. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? उक्त राशि में से कितनी लिफ्ट योजना पर व्यय हुई है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 हेतु 200 करोड़ की राशि प्रस्तावित थी? क्या वर्ष 2000-2001 में राशि घटाकर 120 करोड़ कर दी गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में कटौती कर 120 करोड़ को घटा कर 90 करोड़ कर दिया गया है?

(4) क्या यह सही है कि कटौती के कारण गड़रा ब्रांच के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाये, जिससे 60 किलोमीटर बनी पक्की नहर में पानी नहीं छोड़ा जा सकता?

(5) क्या यह भी सही है कि अपूर्ण कार्य पूर्ण न होने से कच्चे खालों पर प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया व्यय हो रहा है?

(6) क्या यह सही है कि वर्षा के पानी की निकासी हेतु एक्वाडेक्ट का निर्णय तथा एक छोटे टुकड़े के निर्माण के निर्णय के विलम्ब से बहुत बड़ी हानि हुई है?

(7) क्या सरकार निर्मित नहर के अन्तिम छोर तक कार्य पूर्ण करा कर पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(8) क्या सरकार उक्त अव्यवस्था की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर मार्च, 2000 तक रुपये 2091.24 करोड़ व्यय हो चुके हैं। इस राशि में से लिफ्ट नहरों पर रुपये 477.82 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 210 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित थी जो कि घटकर रुपये 145 करोड़ रह गई थी। वर्ष 2000-2001 में रुपये 120 करोड़ की प्रस्तावित राशि के विपरीत रुपये 114.25 करोड़ आवंटित की गई है।

(3) वर्ष 2000-2001 के प्रारम्भ में रुपये 120 करोड़ की राशि प्रस्तावित थी। माह नवम्बर, 2000 में यह राशि 90 करोड़ रुपये कर दी थी, किन्तु माह फरवरी, 2001 में यह राशि 114.25 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

(4) यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में गड़रा रोड उपशाखा पर आवंटित कार्य पूर्ण नहीं होने का एक कारण बजट में कटौती रहा। कार्य पूर्ण न होने का अन्य कारण न्यायालय वाद तथा पानी की कुछ कमी भी थी। इनके रहते भी गड़रा रोड उपशाखा के 12 कि.मी. तक पानी छोड़ा गया।

(5) गड़रा रोड के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने तथा पीने के पानी एवं निर्माण

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

कार्यों के हेतु पानी कच्ची वाटर सप्लाई चैनल से दिया जाता है। इसका रख-रखाव विभागीय मशीनों द्वारा कराया जाता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष में माह फरवरी, 2001 तक रुपये 17 लाख खर्चा हुआ है। निर्माण की अवधि में कच्ची जल आपूर्ति नहर से पानी उपलब्ध कराना परियोजना की सामान्य प्रक्रिया का भाग है।

(6) इस रेगिस्तानी क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा को ध्यान में रखते हुए एक्वाडेक्ट अथवा अन्य क्रास ड्रेनेज कार्य नहर पर बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी फिर भी नहर के बायीं ओर केचमेंट एरिया को देखते हुए सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 241.50 पर एक्वाडेक्ट बनाया गया था। अतः एक्वाडेक्ट बनाने के निर्णय में कोई देरी नहीं हुई जिसके कारण बहुत बड़ी हानि हुई हो।

(7) वर्ष 2001-2002 के अन्त तक अधूरे कार्य पूर्ण करवाकर गड़रा रोड उपशाखा की निर्मित नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।

(8) ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी। जिसकी जांच करवाने की आवश्यकता हो। अतः कोई जांच करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

आबकारी ठेकों की नीलामी नीति में परिवर्तन

96. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 2000-2001 के बजट प्रावधानों में प्रदेश में शराब की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था तथा फरवरी, 2001 के अन्त तक किस-किस जिले से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है?

(2) क्या यह सही है कि बड़े-बड़े समूह बनाकर ठेके नीलामी करने की प्रक्रिया से मोनोपोली हो जाती है तथा छोटे ठेकेदार इतनी बड़ी राशि के ठेके लेने में असमर्थ होने के कारण कम्पीटीशन नहीं होने से राशि कम प्राप्त होती है?

(3) क्या सरकार अलग-अलग दुकानें नीलामी की या ठेके पर देने की प्रक्रिया को अपनाने का विचार रखती है जिससे शराब की बिक्री से अधिक राशि प्राप्त होने की संभावना बनती है?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 के बजट प्रावधानों में मदिरा की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का बजट अनुमान 1085.20 करोड़ रुपये था एवं संशोधित बजट अनुमान 1002.42 रुपये है। फरवरी, 2001 तक मदिरा से 823.24 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है। मदिरा बिक्री से प्राप्त राजस्व का माह फरवरी तक का संकलन महालेखाकार कार्यालय में नहीं होने के कारण जिलेवार सूचना जनवरी तक की दी जा रही है, जो परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी, नहीं। बड़े-बड़े समूह बनाने से ज्यादा आय होने की संभावना बढ़ जाती है। "मोनोपॉली" का इससे सीधा संबंध नहीं माना जा सकता।

(3) जी, नहीं। वर्ष 2001-2002 की आबकारी नीति में अब परिवर्तन सम्भव नहीं है। वर्ष 2002-2003 की आबकारी नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व इस सुझाव का परीक्षण किया जाएगा।

परिशिष्ट-1

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

वर्ष 2000-2001 में माह जनवरी, 2001 तक मदिरा से प्राप्त आबकारी आय की राजस्व जिलेवार सूचना

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राजस्व जिला	वर्ष 2000-2001 में जनवरी, 2001 तक मदिरा से प्राप्त आबकारी आय
1.	अजमेर	43.53
2.	अलवर	62.01
3.	भरतपुर	19.46
4.	धौलपुर	6.80
5.	जयपुर	138.46
6.	दौसा	12.10
7.	टोंक	11.64
8.	झुंझुनूं	27.54
9.	सीकर	24.80
10.	सवाईमाधोपुर	9.16
11.	करौली	4.53
12.	बाड़मेर	5.19
13.	जैसलमेर	7.69
14.	बीकानेर	24.53
15.	चूरू	11.75
16.	हनुमानगढ़	24.42
17.	जोधपुर	38.95
18.	नागौर	14.54
19.	पाली	15.46
20.	सिरोही	33.77
21.	जालौर	3.61
22.	श्रीगंगानगर	36.47
23.	भीलवाड़ा	23.07
24.	बूंदी	9.06
25.	चित्तौड़गढ़	20.39
26.	झालावाड़	12.73
27.	कोटा	22.38
28.	बारां	9.82
29.	उदयपुर	39.80
30.	राजसमंद	10.08
31.	डूंगरपुर	20.13
32.	बांसवाड़ा	6.40
	योग	750.27

गढ़ी (बांसवाड़ा) के रोजगार कार्यालय का अन्यत्र स्थानान्तरण

97. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें : —

(1) क्या ज़िला-बांसवाड़ा के गढ़ी कस्बे में रोजगार कार्यालय कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर पूर्व में रोजगार कार्यालय था जिसे कुशलगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया? यदि हां, तो उक्त कार्यालय को गढ़ी से हटाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार उक्त स्थान पर पुनः रोजगार कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला रोजगार कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित होता है जो बांसवाड़ा में स्थापित है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते बांसवाड़ा जिले में एक उपरोजगार कार्यालय भी स्थापित है जो कुशलगढ़ में है, जहां गढ़ी की अपेक्षाकृत जनजाति आबादी अधिक है और राजकीय महाविद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं।

(2) जी, हां। उपरोजगार कार्यालय था। गढ़ी से कुशलगढ़ कार्यालय स्थानान्तरित करने का कारण गढ़ी मे जनजाति प्रतिशत केवल 51 है जबकि कुशलगढ़ में 85 होना है एवं बांसवाड़ा से गढ़ी की दूरी 40 किलोमीटर है, जबकि कुशलगढ़ की दूरी 72 किलोमीटर है तथा कुशलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होना है।

(3) वर्तमान में गढ़ी में रोजगार कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में पुनः रोजगार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

जयपुर का केरोसीन प्रकरण

98. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में केरोसीन घोटाला हुआ है? यदि हां, तो कब-कब और क्या क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छापा मारकर उक्त घोटाले पकड़े जाने के पहले सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। यदि हां, तो क्यों? जयपुर शहर में कौन-कौन से अधिकारी निरीक्षक कब-कब से कार्यरत हैं?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गई?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जयपुर में केरोसीन तेल को रसायन मिश्रण से सफेद केरोसीन बनाकर वितरकों द्वारा बेचने के आरोपों पर अपराध संख्या-17/2001 दिनांक 9.1.2001 तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, जयपुर व प्रवर्तन अधिकारी श्री हरलाल विश्नोई, श्री कमल प्रकाश कंवरिया, श्री जे. पी. शर्मा, श्री अमर सिंह, सांवरमल चेजारा तथा प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश चतुर्वेदी, श्री सीताराम वर्मा व अन्य जिला रसद कार्यालय, जयपुर एवं फर्म रामावतार एण्ड कम्पनी, प्रमोद आयल ट्रेडर्स, पवन केरियर, बैरवा आयल ट्रेडर्स, भारत प्रोटिज, बाबा फूड प्रोडक्शन, प्रेमपुरिया ग्रेनाइट आदि के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है एवं ग्राम–दूदू, जिला–जयपुर में राशन विक्रेता द्वारा फर्जी वितरण का इन्द्राज कर अनुचित लाभ अर्जित करने के आरोप पर श्री गणेश नारायण, प्रवर्तन निरीक्षक, तहसील मोजमाबाद व बाबूलाल खत्री दुकान नम्बर-50/92 दूदू के विरुद्ध प्रकरण संख्या-36/2001 दिनांक 9.1.2001 पंजीबद्ध किया गया। अपराध व प्राथमिक जांच अन्वेषणाधीन है।

(2) जी, नहीं। राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छापा मारने से पहले केरोसीन की कालाबाजारी व केरोसीन दुरुपयोग के सम्बन्ध में वर्ष 1999 से 2000 तक 34 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें से 7 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं 14 मामलों में प्राधिकार पत्र निलम्बित/रद्द किये गये हैं। जयपुर शहर में जो जो प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक जब से कार्यरत हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अन्वेषण ब्यूरो की कार्यवाही के तुरन्त बाद सरकार द्वारा पांच प्रवर्तन अधिकारियों एवं दो प्रवर्तन निरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार से हटाकर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम प्र. अ/प्र.नि. प्रवर्तन अधिकारी	अवधि	
		कब से	कब तक
1.	श्री अमर सिंह	13.9.2000	24.3.2001
2.	" कमल प्रकाश कंवरिया	26.7.2000	24.3.2001
3.	श्रीमती मनोरमा गुप्ता	28.7.2000 लगातार	
4.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	29.7.2000	24.3.2001
5.	" हरलाल विश्नोई	11.8.2000	24.3.2001
6.	" सांवरमल चेजारा	16.8.2000	24.3.2001
7.	" गिरधारी लाल	11.8.2000 लगातार	
8.	" चन्द्रशेखर मिश्रा,	मई, 98 लगातार	
	प्रवर्तन निरीक्षक		
1.	श्रीमती सरला पुरोहित	2.12.99 लगातार	
2.	श्री अमृत लाल	31.7.2000 लगातार	
3.	" सुरेन्द्र सिंह बारेठ	29.4.98 लगातार	
4.	" संजय शर्मा	31.7.2000 लगातार	
5.	" कमलकिशोर पारीक	2.8.2000 लगातार	
6.	" मनीराम डूंडवाल	14.8.2000 लगातार	
7.	" रामजीलाल फरोदा	4.10.2000 लगातार	
8.	" चम्पालाल बीरवाल	21.9.2000 लगातार	
9.	" सीताराम वर्मा	26.5.2000	24.3.2001
10.	सुश्री सावित्री बसवाल	20.1.2001 लगातार	
11.	श्री रामधन रैगर	30.6.99 लगातार	
12.	" मुरलीधर व्यास	27.2.99 लगातार	
13.	" योगेश चतुर्वेदी	12.9.2000	24.3.2001
14.	" ज्ञानप्रकाश शर्मा	2.8.2000 लगातार	
15.	" महेन्द्र सिंह नूनिया	30.12.2000 लगातार	

प्रश्न संख्या–99

(स्थगित)

वेतन विसंगतियों का निराकरण

100. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मीटर-रीडर, मीटर निरीक्षक, रेवन्यू सुपरवाइजर, फोरमैन द्वितीय इलैक्ट्रिशियन एवं अन्य पदों में चतुर्थ व पंचम वेतन आयोग द्वारा वेतनमान घोषित करने पर रही विभिन्न विसंगतियों को सरकार कब तक सुलझायेगी ?

(2) क्या राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ (बी.एम.एस.) ने उक्त सम्बन्ध में सरकार व यतीन्द्र सिंह आयोग को वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु कोई ज्ञापन भी दिया है? क्या मुख्य अभियन्ता जलदाय ने भी उक्त कमेटी को वेतन विसंगतियां दूर करने हेतु अपनी सिफारिश भेजी है? अब सरकार उक्त वेतन विसंगतियों को कब तक दूर करेगी ?

उत्तर

(1) श्री यतीन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. एवं पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित "वेतन विसंगति निराकरण समिति" ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। उक्त प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(2) जी, हां। जलदाय कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति निराकरण समिति को ज्ञापन दिया था। मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा भी टिप्पणी की जा चुकी है। वेतन विसंगति के संबंध में वेतन विसंगति निराकरण समिति ने प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, जो विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के भवन रहित आयुर्वेदिक औषधालय

101. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला–अलवर के राजगढ़ में वर्ष 1999-2000 मे आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था? क्या सरकार उसे चालू कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भवन रहित औषधालयों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर ही औषधालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) (i) जी, हां।

(ii) जी, नहीं।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(iii) वित्त संसाधनों के अभाव में नवीन औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण करवाया जा सकेगा।

रावी नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा

102. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने रावी नदी पर रणजीत सागर बांध का निर्माण कर लिया है और रविवार, दिनांक 4 मार्च, 2001 को प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है?

(2) क्या रावी नदी के पानी में राजस्थान राज्य का भी हिस्सा है? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने रावी नदी के अपने हिस्से के पानी लेने के क्या कोई प्रयास किए हैं? यदि हां, तो किए गए प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। राज्य को अन्तर्राज्यीय अनुबंध के अन्तर्गत रावी एवं व्यास नदियों के साझे जल में हिस्सा है और यह जल हरीके बैराज के माध्यम से उपलब्ध होता है। रावी नदी पर पंजाब द्वारा निर्मित रणजीत सागर (थीन) बांध के बनने से पूर्व रावी नदी का पानी माधोपुर व्यास लिंक के द्वारा हरीके बैराज पर उपलब्ध होता था। अब रणजीत सागर बांध में संग्रहित जल भी माधोपुर व्यास लिंक के द्वारा उपलब्ध होगा।

रणजीत सागर बांध तथा अन्य रावी-व्यास जल सम्बन्धित प्रकरणों के बाबत माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में दि. 29-30 जुलाई, 1992 एवं 6 अगस्त, 1992 को पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार किया गया। बैठक में लिये गये तदर्थ निणर्यों के अनुसार रणजीत सागर (थीन) बांध के निर्माण के उपरान्त जल की हिस्सेदारी सन् 1981 के रावी व्यास समझौते के अनुसार ही दी जाएगी। निर्णय के आइटम संख्या-11 का मूल उद्धरण इस प्रकार है :—

"DETAILS OF THE IRRIGATION SHARES OF THE STATES TO BE MET WITH FROM THE THEIN STORAGE WILL BE WORKED-OUT ON THE BASIS OF THE EXISTING AGGREMENTS."

रावी व्यास जल के सम्बन्ध में दिनांक 31.12.1981 को हुए समझौते के अनुसार पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को क्रमशः 4.22 एम.ए.एफ. (25.85 प्रतिशत), 3.5 एम.ए.एफ. (21.45 प्रतिशत) एवं 8.6 एम.ए.एफ. (52.70 प्रतिशत) जल आवंटित है। राज्य द्वारा इस निर्णय पर दिनांक 23.1.1993 को सहमति व्यक्त कर दी है।

(सिंचाई मंत्री)

रणजीत सागर बांध के निर्माण से राज्य के पूर्व निर्धारित हिस्से में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होने की आशंका नहीं है। दिनांक 29-30 जुलाई, 1992 की बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा अभी तक बैठक आयोजित नहीं की गई है। राज्य द्वारा बैठक आयोजित करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को दिनांक 30.6.1994 एवं 29.4.2000 को एवं प्रधानमंत्री महोदय को दिनांक 17.4.1998 एवं 23.12.1998 को अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने 11 सितम्बर, 2000 को एक बैठक प्रस्तावित की थी जो किसी कारणवश आयोजित नहीं हो सकी।

राज्य में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत रोक

103. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहरों एवं बड़े गांवों में पशुओं पर निर्धारित वजन एवं बोझ से अधिक सामान डालकर उन पर अत्याचार किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं कर रही है ? यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

(3) गत एक वर्ष में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितनों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये और उनके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के लिये कोई कदम उठा कर पशुओं पर अत्याचार को रोकने में सहयोग प्रदान करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की पालना के लिए पुलिस विभाग को शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की पूर्ण पालना की जा रही है।

(3) गत वर्ष 2000 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 31 इस्तगासे पशु मालिकों के विरुद्ध सम्बन्धित अदालतों में पेश किये गये हैं। वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक कुल 86 इस्तगासे पशु मालिकों के विरुद्ध सम्बन्धित न्यायालयों में पेश किये गये हैं।

(4) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 28.6.1991 को किया गया तथा प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पशुक्रूरता निवारण के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

के लिये प्रतिवर्ष 14 जनवरी से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है।

पिछड़े/अतिपिछड़े वर्ग के आशार्थियों के चयन हेतु मानदण्ड

104. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों के राज्य सेवा चयनित नहीं होने के क्रीमीलेयर सम्बन्धी क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकर ने क्रीमीलेयर परिवार में किस श्रेणी के अधिकारीगण को सम्मलित किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के किस-किस जिले में कितनी-कितनी खातेदारी की भूमि के काश्तकार के परिवार को क्रीमीलेयर माना गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की पालना में क्रीमीलेयर को ठीक तरह से परिभाषित नहीं करने से तहसीलदार स्तर के अधिकारीगण क्रीमीलेयर परिवार के आशार्थी को भी अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16 नवम्बर, 1992 के ईन्दरसानी बनाम यूनीयन गवर्नमैन्ट के निर्णय की पुनः समीक्षा कर वास्तविक अन्य पिछड़ी जाति के आशार्थी को राज्य सेवा में आने का अवसर प्रदान करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या देश के अन्य राज्यों की तरह पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के चयन का अलग मानदंड निर्धारित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में क्रीमीलेयर के अपवर्जन हेतु प्रवर्ग-वार सूची कार्मिक विभाग की अधीसूचना दिनांक 28.9.93 द्वारा निर्धारित की गयी है। इस अधिसूचना तथा अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची की प्रतिलिपि परिशिष्ट-क पर संलग्न है। प्रवर्ग "VI आय धन का मापदण्ड" में अधिसूचना दिनांक 2.11.99 तक राशि एक लाख रुपये के स्थान पर राशि दो लाख पचास हजार प्रतिस्थापित की गयी है।

(2) सेवा प्रवर्ग के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों पर उपवर्जन का नियम लागू होता है उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क में प्रवर्ग क्रम सं.-11, 11ख, व 11ग पर अंकित है।

(3) अधिसूचना दिनांक 28.9.93 के द्वारा अलग से कृषि जोतों के लिए जिलेवार भूमि की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। प्रवर्ग "VI की सम्पति के स्वामी कृषि जोतें" के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं :—

(कार्मिक मंत्री)

(क) यदि किसी एक कुटुम्ब (पिता, माता एवं आवश्यक बच्चे) की कृषि जोत पूर्णतः असिंचित है तो उस पर अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

(ख) यदि किसी एक कुटुम्ब (पिता, माता और अवयस्क बच्चे) के स्वामित्व में केवल सिंचित भूमि है जो कि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित अधिकतम भूमि की सीमा के 85 प्रतिशत के बराबर अधिक है तो अपवर्जन का नियम लागू होगा।

(ग) यदि किसी एक कुटुम्ब (पिता, माता एवं अवयस्क बच्चे) के स्वामित्व में सिंचित एवं असिंचित भूमियां है तो अपवर्जन का नियम तभी लागू होगा जब :—

1– सिंचित भूमि का क्षेत्रफल सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रावधित अधिकतम सीमा के 40 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो, और

2– असिंचित भूमि को निर्धारित संपरिवर्तन फार्मूले के अनुसार सिंचित क्षेत्र में संपरिवर्तन करने पर बनने वाले क्षेत्रफल तथा सिंचित क्षेत्र का योग सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र के प्रावधित अधिकतम सीमा के 85 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

3– असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में संपरिवर्तन हेतु फार्मूला निम्नानुसार है :—

1. वर्ष में एक फसल उगाने में समर्थ 1.50 एकड़ सिंचित भूमि को वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने में समर्थ 1.00 एकड़ सिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा।

2. उपजाऊ, अर्द्ध उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र में 3 एकड़ बारानी भूमि को वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने में समर्थ 1.00 एकड सिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा।

3. अर्द्ध मरू क्षेत्र में 8 एकड़ बारानी भूमि को वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने में समर्थ 1.00 एकड़ सिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा।

4. मरू क्षेत्र में 11 एकड़ बारानी भूमि को वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने में समर्थ 1.00 एकड़ सिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा।

(4) जिन व्यक्तियों पर अपवर्जन का नियम लागू होता है उनका प्रवर्ग-वार वर्णन अधिसूचना दिनांक 28.9.93 किया गया है।

(5) जी, नहीं।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य पर ऋण भार

105. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 1 जनवरी, 1999 के बाद राज्य सरकार ने भारत सरकार या अन्य स्त्रोतों से ऋण प्राप्त किया है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या उक्त ऋण का उपयोग पूर्ण रूप से जिस-जिस उद्देश्य के लिए लिया, कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त अवधि मे पुनःभुगतान भी हुआ? यदि हां, तो कब-कब कितना-कितना? उक्त ऋण का ब्याज प्रतिमाह कितना-कितना बनता है? क्या उक्त ब्याज का समय पर भुगतान किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले ऋणों का अनुमान वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय किया जाता है और ये ऋण प्रायः वर्ष भर में प्राप्त होते रहते हैं। महालेखाकार द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार कर विभिन्न मदों के अन्तर्गत लिए गए ऋणों की स्थिति दर्शायी जाती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऋणों की बकाया राशि वर्ष वार ही अंकित की है। वित्तीय वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक राज्य ने भारत सरकार से 13165.63 करोड़ रुपये तथा अन्य स्त्रोतों से 28203.58 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये हैं।

(2) राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली समस्त राजस्व व ऋण राशि सम्मिलित कर समेकित निधि कहलाती है। विभिन्न मदों व परियोजनाओं पर इस समेकित निधि से ही व्यय किया जाता है। प्रायः जो राशि जिस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होती है, उसी योजना पर व्यय की जाती है।

(3) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को 3984.72 करोड़ रुपये एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त ऋण के पेटे 21771.72 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया गया। राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान समय पर ही किया जाता है। प्रतिमाह ब्याज के औसत भुगतान का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	ब्याज का औसत मासिक भुगतान
1990-91	29.55
1991-92	37.36
1992-93	43.53
1993-94	52.26
1994-95	61.38
1995-96	72.73
1996-97	90.82
1997-98	110.81
1998-99	128.43
1999-00	164.96

थाना प्रताप नगर (उदयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या-38/2001

106. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना प्रताप नगर, जिला-उदयपुर में मुकदमा नं.-38/2001 दिनांक 13-2-2001 को दर्ज हुआ? यदि हां, तो उक्त मुकदमा किसने व किसके विरूद्ध दर्ज करवाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों का निस्तारण किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है? क्या उक्त मामलों के निस्तारण के लिये कोई समय सीमा निश्चित की हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण के अन्तर्गत पैट्रोलियम पदार्थ से भरा एक ट्रक प्रताप नगर पुलिस थाना, उदयपुर में जब्त पड़ा रहा? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है उक्त ट्रक को छुड़वाने हेतु सम्बन्धितों द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आवेदन किया? यदि हां तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार ज्वलनशील एवं संवेदनशील प्रकरण के तुरन्त निस्तारण न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह मुकदमा वृताधिकारी, नगर पूर्व, उदयपुर द्वारा श्री भैरूलाल पिता श्री धन्ना सालवी, श्री रमेश पुत्र श्री रतन लाल सालवी, निवासी लोठियाणा, थाना-भदेसर जिला-चित्तौडगढ़ एवं श्री जगन्नाथ डांगी के विरुद्ध दर्ज करवाया गया।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों का निस्तारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के मामलों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) जी हां, प्रथम सूचना 38/2001 के तहत दिनांक 13.2.2001 को पुलिस अधिकारियों द्वारा डीजल भरा एक टेंकर सीज किया गया तथा 13.2.2001 से 23.2.2001 तक पुलिस थाना प्रताप नगर में जप्त पड़ा रहा। जप्ती का कारण इस मामले में पुलिस अनुसंधान जारी रहना था।

(4) जी हां, जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां मै. चित्तौड़गढ़ फिलिंग स्टेशन की और से उनके अभिभाषक ने इस ट्रक को

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

छुड़वाने हेतु आवेदन किया था। आवेदन के साथ टेंकर स्वामित्व इत्यादि के दस्तावेज संलग्न न होने के कारण उक्त दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया।

(5) थाना प्रभारी, पुलिस थाना, प्रताप नगर द्वारा दिनांक 13.2.2001 को जप्त किया गया टेंकर अन्तरिम निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में दिनांक 23.2.2001 को पेश किया गया, इस बीच अनुसंधान जारी रहा है। यदि किसी अधिकारी द्वारा इस मामले में देरी की गई है, तो इसकी जांच राज्य सरकार करवाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सवाईमाधोपुर वृत्त में लगाये गये हैण्ड पम्प

107. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से 1996 तक सवाईमाधोपुर वृत्त की कई तहसीलों के गांवों में रेतीले/पथरीले धरातल में हैण्ड पम्प निर्माण कराये गये थे? क्या उन्हें गांवों में 1996 के बाद बोल्डर युक्त धरातल की अधिकतम दरों पर हैण्ड पम्प निर्माण कराये गये? वर्ष 1990 से 2000 तक निर्मित हैण्ड पम्पों की संख्या सूची मय धरातल के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमि का धरातल बदलने वाला कौन अधिकारी था? नाम, पद नाम, पद स्थापन स्थान एवं सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1990-96 तक सवाईमाधोपुर की कुछ तहसीलों के गांवों में रेतीले/पथरीले धरातल में हैण्ड पम्प लगाए गए थे उनमें से कुछ गांवों में 1996 के पश्चात बोल्डर युक्त धरातल वाले हैण्ड पम्प (गांव में पहले से भिन्न स्थानों पर) भी लगाए गए। की गई उपरोक्त कार्यवाही उचित है क्योंकि, गांव के पूरे क्षेत्र में सभी स्थानों पर एक जैसा धरातल व भू-गर्भ रचना होना आवश्यक नहीं है। हैण्ड पम्प गांव में बसावट के अनुसार स्थान चयन कर लगाए जाते हैं जहां धरातल तथा भू-गर्भ रचना भिन्न हो सकती है। इसे ध्यान में रखकर भू-जल वैज्ञानिक की राय के उपरान्त ही हैण्ड पम्प के प्रकार (रैतीला/रोकी/बोल्डर) का चयन किया गया है। यह भी सही है कि आसान स्थान (रैतीला/रोकी) पर पहले कार्य करवा लिया गया तथा कठिन स्थान (बोल्डर) पर बाद में कार्य करवाया गया।

वर्ष 1990 से 2000 के काल में विभिन्न तहसीलों में 3637 हैण्ड पम्प का कार्य करवाया विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	जिला	तहसील	कुल हैण्ड पम्प लगे	धरातल	
				रोकी/रेतीले	/कोल्ड
1.	स. माधोपुर	सवाईमाधोपुर	259	240	19
2.	"	बौंली	397	376	21
3.	"	खण्डार	167	164	3
4.	"	गंगापुर	461	420	41
5.	"	बामनवास	176	0	176
6.	करौली	करौली	296	296	0
7.	"	सपोटरा	334	244	90
8.	"	टोडाभीम	526	472	54
9.	"	नादौती	325	246	79
10.	"	हिण्डोन	696	696	0
		योग	3637	3154	483

(2) किसी भी अधिकारी द्वारा भूमि का धरातल नहीं बदला गया। भू-जल वैज्ञानिक द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर कार्य सम्पादित कराया गया।

प्रश्न संख्या-108

(स्थगित)

बीसलपुर योजना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

109. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय अनुसार बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना को केवल पीने के पानी हेतु ही रखी जावेगी? यदि हां, तो पूर्व में जो उद्देश्य था, क्या उसमें परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कब? क्या ऐसा करना जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है?

(2) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 में उक्त परियोजना की भराव क्षमतानुसार पानी रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार 311 मीटर भराव क्षमता से डूब में आने वाले क्षेत्र के निवासियों को ही मुआवजा देने जा रही है और कुछ वितरित भी किया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि वितरित की जा चुकी है?

(4) क्या दाईं नहर का कार्य को बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सिंचाई विभाग को डूब से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की पूरी राशि दे दी है? यदि नहीं, तो कितनी बाकी है और अब तक कुल कितनी राशि दी गई है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बीसलपुर परियोजना पीने के पानी हेतु एवं सिंचाई सुविधा

(सिंचाई मंत्री)

उपलब्ध करवाने हेतु बनाई गई थी। वर्तमान में भी यही उद्देश्य है।

(2) जी, नहीं। इस वर्ष 2001-2002 में परियोजना के डूब क्षेत्र में विस्थापितों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने से मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास पूर्ण नहीं होने के कारण पूर्ण भराव क्षमता तक जल संग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी, हां। डूब क्षेत्र के विस्थापितों को राशि रुपये 89.67 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं। मार्च, 2001 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हिस्सा राशि रुपये 211.33 लाख बकाया है। अब तक कुल राशि रुपये 21870.00 लाख दी गयी है।

पशुओं की नस्ल सुधार हेतु उपाय

110. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुराने जमाने में पशु की असली नस्ल की सुरक्षा के लिए ग्रामों में पशुओं को बदीया किया जाता था और आज के जमाने में ऐसा नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि नकली नस्ल के सांडों का बदीयाकरण नहीं होने से असली नस्ल खतम हो रही है? यदि हां, तो सरकार असली नस्लों की सुरक्षा हेतु क्या इन्तजाम करने जा रही है?

उत्तर

(1) पुराने जमाने में पशुओं की असली नस्ल की सुरक्षा के लिए बधियाकरण किया जाता था। वर्तमान में भी पशु नस्ल सुधार हेतु पशुओं का बधियाकरण किया जाता है।

(2) जी, नहीं। बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुरक्षा एवं सुधार का कार्य किया जाता है।

राजस्थान केडर के उच्चाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नियम

111. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/विदेश में कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन? सूची मय कार्य, पद, स्थान व पदस्थापन के समय की सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार की प्रतिनियुक्ति के केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/विदेश में कार्यरत है उनकी सूची क्रमशः परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग' पर उपलब्ध है। इसी प्रकार भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जो भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/विदेश में कार्यरत है उनकी

(कार्मिक मंत्री)

सूची क्रमशः परिशिष्ठ 'घ', 'ण', व 'च' पर उलब्ध है।

(2) जी हां, केन्द्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर एवं विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु निवेश क्रमशः परिशिष्ठ 'छ' एवं 'ज' पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आबकारी ठेकेदारों से वसूली

112. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2001-2002 की सरकार की वर्तमान आबकारी नीति क्या है?

(2) क्या उक्त नीति में राजस्थान के ठेकेदारों को ही ठेके मिल रहे हैं? क्या दूसरे प्रदेशों के भू-माफिया राजस्थान में उक्त ठेकों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं?

(3) राज्य सरकार को वर्ष 2000-2001 में आबकारी राशि के पेटे कितनी राशि ठेकेदारों से जिलेवार प्राप्त हुई?

(4) राज्य सरकार को किन-किन जिले के ठेकेदारों से गारन्टी मनी के रूप में राशि प्राप्त होनी थी? क्या उक्त राशि प्राप्त हो गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा किन-किन ठेकेदारों पर बकाया है और कितनी राशि? ठेकेदारों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त राशि को वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार अब और कोई निर्णय करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 की आबकारी नीति एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत मदिरा के 29 समूह तथा डोडापोस्त के 48 समूह बनाये गये है।

(2) भारत का कोई भी इच्छुक व पात्र व्यक्ति आबकारी ठेके लेने हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। निविदाओं के संबंध में प्रान्तीय आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(3) वर्ष 2000-2001 के दौरान 1 अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक कुल आबकारी राजस्व रु. 883.24 करोड़ प्राप्त हुआ है जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) मदिरा समूहों के ठेकेदारों की वर्ष 2000-2001 की गारंटी मनी (एकाकी विशेषाधिकार राशि) का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जिन मदिरा समूहों के ठेकेदारों ने माह फरवरी, 2001 तक गारंटी मनी का भुगतान नहीं किया है उसका विवरण भी परिशिष्ट-2 में अंकित किया हुआ है।

(5) ठेकेदारों द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि एवं प्रस्तुत हैसियत एवं जमानत प्रमाण-पत्र में अंकित सम्पत्तियों से विधिवत प्रक्रिया के अनुसार बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील क्षेत्र फलौदी (जोधपुर) में लिफ्ट कैनाल से पेयजल आपूर्ति

113. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील–फलौदी, जिला–जोधपुर में बाप-सोढ़ादड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.4.92 को जारी कर दी गई थी और उक्त राशि भी व्यय कर दी गई थी परन्तु अब तक उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले ग्राम सोढ़ादड़ा श्री रामपुरा, कलरावा बेरा, मंडोर, सारणपुरा, सूरपुरा, जाम्भा की ढाणी एवं खिदरत में से एक भी गांव में जोधपुर लिफ्ट कैनाल का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या उक्त ग्रामों में पेयजल की भयंकर किल्लत हो रही है? यदि हां, तो पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बाप-सोढ़ादड़ा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दि. 28.4.92 को रु. 201.15 लाख की जारी हुई थी। इस योजना में माह फरवरी, 2001 तक रु. 228.82 लाख की राशि व्यय हुई है। इस योजना में जुड़े आठ गांव सोढ़ादड़ा, श्रीरामपुरा, कलरावा बेरा, मण्डोर, सारणपुरा, सुरपुरा, जाम्बा की ढाणी एवं खिदरत में से वर्तमान में श्रीरामपुरा गांव में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी पहुंच रहा है। शेष गांव में टेस्टिंग के दौरान पाइप लाइनों द्वारा जल दबाव सहन नहीं कर सकने एवं अन्य तकनीकी कारण से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

इस प्रकरण में प्राथमिक जांच कर निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को दि. 14.9.2000 को आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं: —

1. श्री आर.एस.चोरडिया	मुख्य अभियन्ता
2. " वी.एस. अहलावत	अति.मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत)
3. " पी.के.शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
4. " सुरेश कुमार पुरोहित	सहायक अभियन्ता
5. " नरेश गौड़	सहायक अभियन्ता
6. " प्रेमसिंह पंवार	कनिष्ठ अभियन्ता
7. " मनोज कुमार धवल	–"–
8. " कैलाश चन्द पुरोहित	–"–

उपरोक्त में से क्रमांक-3 से 8 तक के अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किए जा चुके हैं। जांच नियमानुसार प्रक्रिया में है तथा जांच पूरी होने के बाद दोष/सजा निर्धारण सम्भव हो पावेगा।

(2) उक्त गांवों में पेयजल की समस्या को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

बाप-सोढ़ादड़ा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित 8 गांवों में पेयजल की वर्तमान/आने वाली ग्रीष्मऋतु में प्रस्तावित पेयजल की व्यवस्था का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी 1991	वर्तमान जल व्यवस्था
1.	खिदरत	1127	स्थानीय नलकूप से खारा पानी दिया जा रहा है। परिवहन द्वारा मीठा पानी देना प्रारम्भ कर दिया है।
2.	सोढ़ादड़ा	883	स्थानीय नलकूप से खारा पानी दिया जा रहा है। परिवहन द्वारा मीठा पानी देना प्रस्तावित है।
3.	श्रीरामपुरा	719	मालम सिंह की सीड से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी गांव में पहुंच रहा है।
4.	कलरावा बेरा	833	श्रीरामपुरा गांव लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर है ग्रामवासी वहां से पानी ऊंटगाड़ी द्वारा ला रहे हैं। लाइन की टेस्टिंग प्रगति पर है। परिवहन द्वारा मीठा पानी देना भी प्रस्तावित है।
5.	जाम्बा की ढाणी	2209	स्थानीय नलकूप द्वारा खारा पानी दिया जा रहा है। परिवहन द्वारा मीठा पानी देना प्रस्तावित है।
6.	सारणपुरा	502	जाम्बा की ढाणी से खारा पानी पम्प कर पहुंचाया जा रहा है। परिवहन द्वारा मीठा पानी देना प्रस्तावित है।
7.	सुरपुरा	513	जाम्बा की ढाणी से खारा पानी वाया सारपुरा पम्प कर पहुंचाया जा रहा है।
8.	मण्डोर	320	परिवहन द्वारा मीठा पानी देना प्रस्तावित है।

जिला–बांसवाड़ा में असिंचित क्षेत्र की स्थगित भू-राजस्व वसूली

114. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला–बांसवाड़ा में इस वर्ष अकाल के कारण लगान माफ किया है? क्या उक्त माफसुदा लगान की सरकार द्वारा वसूली की जा रही है?

(2) क्या सरकार के आदेशानुसार उक्त क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों की भू-राजस्व वसूली स्थगित की गई है?

(श्री भाणजी)

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 से असिंचित क्षेत्र का लगान माफ हो चुका है? यदि हां, तो उक्त प्रकार के आदेश का इस वर्ष के अकाल के समय क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 5(4)राज/4/77/5 दिनांक 30.3.91 के द्वारा खरीफ संवत् 2048 (वित्तीय वर्ष 1991-92) से कृषकों से बारानी भूमि पर भू-राजस्व एवं उस पर देय अधिभार नहीं लिये जाने के आदेश जारी किये गये। अधिसूचना क्रमांक 5(4) राज/4/77/3। दिनांक 27.8.91 के द्वारा खरीफ संवत् 2048 (वित्तीय वर्ष 1991-92) से भू–अभिलेख में दर्ज देहरी, सेवज खादिन, सैलाबी, तालाबी, पेटा, कच्छार, खातली भूमि को छोड़कर समस्त बारानी भूमि को भू–राजस्व के संदाय से मुक्त किया गया है।

इस वर्ष सहायता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(1)(1) सआ/सामान्य/2000-01/26238-90 दिनांक 27.11.2000 द्वारा राज्य के अभावग्रस्त घोषित गांवों में राजस्व विभाग की आज्ञा क्रमांक 4(16) राज/2/2000 दिनांक 12.12.2000 द्वारा भू-राजस्व वसूली 1.12.2000 से 30.9.2001 तक स्थगित की गई है। किन्तु भू-अभिलेख में दर्ज बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित उन भूमियों पर राजस्व वसूली स्थगित नहीं की गई है जहां कुओं या अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है।

डी. एस. आर. टोर प्रा. लि., भिवाड़ी को बिक्री कर में छूट

115. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) डी.एस.आर.टोर प्राइवेट लि., भिवाड़ी में कब उत्पादन चालू हुआ और कब उक्त उद्योग को बिक्री कर में छूट दी गई?

(2) किस तारीख को उत्पादन में आने वाले उद्योग को कानूनन बिक्री कर से छूट का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि बिक्री कर छूट देने के दिनांक के बाद डी.एस.आर.टोर प्रा.लि. उत्पादन में आया? यदि हां, तो किस कानून के तहत उक्त उद्योग को छूट दी गई?

(4) अब तक उक्त उद्योग बिक्रीकर में कितने की छूट प्राप्त कर चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डी.एस.आर.टोर प्राइवेट लि., भिवाड़ी में उत्पादन दिनांक 14.8.98 से चालू किया गया है और बिक्री कर में छूट दिनांक 3.12.99 से दी गई।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.4.99 द्वारा क्लाज 1(एए) में संशोधन के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से छूट का प्रावधान है।

(वित्त मंत्री)

(3) जी, नहीं। उक्त फर्म दिनांक 14.8.98 से उत्पादन में आई थी जबकि छूट दिनांक 3.12.99 से दी गई है।

(4) इस इकाई द्वारा दिनांक 31.12.2000 तक रुपये 92,43,447/- की छूट का उपभोग किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई व भरतपुर से शुद्ध पेयजल आपूर्ति

116. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर खारे पानी एवं फ्लोराइड युक्त पानी तथा अन्य प्रकार से दूषित पीने के पानी की समस्या के संबंध में कोई सर्वे करा रखा है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्या के निदान हेतु एवं जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त समस्याओं से विधान सभा क्षेत्र नदबई व भरतपुर के कौन-कौन से गांव प्रभावित हैं एवं उनमें क्या-क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार द्वारा अब तक की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991-93 के दौरान कराये गये सर्वे के अनुसार 16560 ग्राम/ढाणी फ्लोराइड प्रभावित एवं 14415 ग्राम/ढाणी खारे पानी से प्रभावित पाये गये थे। जिलेवार विवरण प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(2) फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रुपये 174.51 करोड़ रुपये की 1067 ग्राम/ढाणियों हेतु योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। माह फरवरी, 2001 तक इन योजनाओं पर लगभग 596.10 करोड़ रु. व्यय किये जाकर 225 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इसी प्रकार खारे पानी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 358.84 करोड़ रुपये की 1916 ग्राम/ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत की गई है। माह फरवरी, 2001 तक इन योजनाओं पर लगभग 532.77 करोड़ रु. व्यय किये जाकर 310 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नदबई व भरतपुर में खारे पानी से प्रभावित गांवों की संख्या क्रमशः-16 एवं 12 है। ग्रामवार सूची प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है। ऐसे प्रभावित गांवों के लिए उपयुक्त जल स्रोत बनाकर उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। नदबई विधान सभा क्षेत्र के समस्त 16 गांवों की योजनाओं के प्रस्ताव बनाये गये हैं। जिनकी क्रियान्विति स्वीकृति, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के समस्त 12 गांवों की 8 योजनाएं लागत रुपये 20.20 लाख की स्वीकृत की जा चुकी है जिनमें से 3 गांव लाभान्वित किये जा चुके हैं व शेष 9 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्धारित सीमा से अधिक सैलिनिटी वाले ग्रामों/हैबीटेशन का विवरण

प्रपत्र 'अ'

क्र. सं.	जिला	ग्राम/हैबीटेशन की संख्या		कुल संख्या
		मुख्य गांव	अन्य हैबीटेशन	
1.	अजमेर	378	209	587
2.	अलवर	523	184	707
3.	बांसवाड़ा	16	39	55
4.	बाड़मेर	897	413	1310
5.	भरतपुर	769	119	888
6.	भीलवाड़ा	393	208	601
7.	बीकानेर	172	0	172
8.	बूंदी	123	27	150
9.	चित्तौड़गढ़	46	38	84
10.	चूरू	811	13	624
11.	धौलपुर	164	136	300
12.	डूंगरपुर	72	165	237
13.	गंगानगर/हनुमानगढ़	565	422	987
14.	जयपुर/दौसा	794	1154	1948
15.	जैसलमेर	189	93	282
16.	जालौर	283	83	366
17.	झालावाड़	102	4	106
18.	झुन्झुनूं	308	8	316
19.	जोधपुर	340	136	476
20.	कोटा/बारां	160	11	171
21.	नागौर	771	142	913
22.	पांली	221	65	286
23.	सीकर	303	285	588
24.	सिरोही	95	4	99
25.	सवाईमाधोपुर/करौली	431	328	759
26.	टौंक	323	134	457
27.	उदयपुर/राजसमंद	459	487	946
	कुल	**9508**	**4907**	**14416**

ग्रामों/हैबीटेशन का विवरण जहां फ्लोराइड निर्धारित सीमा 1.5 पीपीएम से अधिक है

प्रपत्र 'अ'

क्र. सं.	जिला	ग्राम/हैबीटेशन की संख्या		कुल संख्या
		मुख्य गांव	अन्य हैबीटेशन	
1.	अजमेर	854	371	1025
2.	अलवर	537	342	879
3.	बांसवाड़ा	293	551	844
4.	बाड़मेर	597	221	818
5.	भरतपुर	529	81	610
6.	भीलवाड़ा	678	318	996
7.	बीकानेर	84	2	86
8.	बूंदी	42	9	51
9.	चित्तौड़गढ़	115	48	163
10.	चूरू	240	8	248
11.	धौलपुर	142	157	299
12.	डूंगरपुर	127	235	362
13.	गंगानगर/हनुमानगढ़	426	418	844
14.	जयपुर/दौसा	1187	1985	3172
15.	जैसलमेर	300	184	484
16.	जालौर	369	107	476
17.	झालावाड़	42	5	47
18.	झुन्झुनूं	98	3	99
19.	जोधपुर	314	99	413
20.	कोटा/बारां	44	0	44
21.	नागौर	778	147	925
22.	पाली	242	88	330
23.	सीकर	331	461	792
24.	सिरोही	176	5	181
25.	सवाईमाधोपुर/करौली	452	268	720
26.	टौंक	515	209	724
27.	उदयपुर/राजसमंद	431	497	928
	कुल	**9741**	**6819**	**16660**

प्रपत्र "ब"

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	रसायनिक विश्लेषण टीडीएस	क्लो.	फ्लो.	नाइट्रेट	विशेष विवरण
विधान सभा	क्षेत्र—भरतपुर								
1.	हथैनी	81	2587	पी एण्ड टी	2910	910	0.4	20	
2.	पीपला	79	3130	पी एण्ड टी	2913	960	0.4	30	
3.	नौगाया	82	1429	पी एण्ड टी	5408	1810	0.6	80	
4.	बहनेरा	131	2047	क्षेत्रीय	3560	1150	0.6	50	
5.	सुनारी	116	2515	क्षेत्रीय	2860	810	0.4	40	
6.	न.अभयराम	171	386	क्षेत्रीय	3160	1010	0.6	30	
7.	चकबहनेरा	130	86	क्षेत्रीय	3350	1120	0.4	12	
8.	कोलीपुरा	78	478	पी एण्ड टी	3080	1050	0.4	10	
9	बरसो	113	1553	क्षेत्रीय	3105	950	0.8	20	लाभान्वित
10.	घसोला	115	1406	क्षेत्रीय	2810	850	0.2	10	लाभान्वित
11.	बछामदी	110	3002	पी एण्ड टी	2710	905	0.6	18	
12.	जघीना (तमरोली)	63	9158	पाइप्ड	3505	1150	0.5	12	लाभान्वित

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं	जनसंख्या 1991	योजना का प्रकार	रसायनिक विश्लेषण टीडीएस	क्लो.	फ्लो.	नाइट्रेट	विशेष विवरण
विधान सभा	क्षेत्र—नदबई								
1.	महरामपुर	16	375	हैण्ड पम्प योजना	7488	2770	2.2	4	
2.	बुडवारी कलां	65	747	हैण्ड पम्प योजना	10810	8000	2.8	80	
3.	रैना	62	499	हैण्ड पम्प योजना	3910	1200	1.8	10	
4.	चीताहेड़ी काशी	28	213	हैण्ड पम्प योजना	3286	1130	0.8	10	
5.	उसेर	5	861	हैण्ड पम्प योजना	3619	1240	1.0	10	
6.	बसैया जाट	12	102	हैण्ड पम्प योजना	6240	3040	2.2	20	
7.	जहांगीरपुर	114	1912	हैण्ड पम्प योजना	3286	1160	1.4	48	
8.	मई	113	2488	हैण्ड पम्प योजना	5824	2830	2.8	10	
9	कैलूरी	2	1323	हैण्ड पम्प योजना	4160	1410	0.8	250	
10.	कोठेनखुर्द	97	737	हैण्ड पम्प योजना	3411	990	2.0	35	
11.	नगलां नावरिया	10	161	हैण्ड पम्प योजना	6656	2680	2.5	60	
12.	पिदावली	21	1269	हैण्ड पम्प योजना	3910	1670	1.2	50	
13.	पीपलीं	40	487	हैण्ड पम्प योजना	9152	5900	2.0	120	
14.	चकनावली	49	537	हैण्ड पम्प योजना	3328	1050	2.0	20	
15.	ठिकरिया	67	618	हैण्ड पम्प योजना	3414	690	1.6	20	
16.	बरौदा	68	1225	हैण्ड पम्प योजना	4992	1500	1.8	40	

दाईं मुख्य नहर माही परियोजना, बांसवाड़ा का अपूर्ण कार्य

117. श्री नानालाल नीनाना (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) माही परियोजना, बांसवाड़ा के अन्तर्गत दाईं मुख्य नहर पर चरना मुन्डवई माइनर 0 से 1 का कार्य कब आवंटित किया गया था? अब तक उक्त कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया? सरकार ने उक्त कार्य किस ठेकेदार को आवंटित किया है?

(2) उक्त ठेकेदार को कितने कार्य कब-कब से आवंटित किये व कितने कार्य अभी तक ठेकेदार द्वारा पूर्ण किये गये? यदि नहीं, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? उक्त कार्य पूर्ण नहीं करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त ठेकेदार के बकाया कार्यों से सिंचाई का पानी कृषकों को उपलब्ध नहीं हो सका जिसके कारण प्रतिवर्ष कितनी राजस्व हानि हुई? उक्त राशि किससे वसूल की जानी है?

उत्तर

(1) चरना मुण्डवई माइनर की आर.डी. 0 से 1 कि.मी. का कार्य अगस्त, 95 में स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त कार्य की प्रगति प्रारम्भिक कार्य अवधि में धीमी होने से एवं तत्पश्चात् पिछले 2 वर्षों से वित्तीय संसाधन की कमी के कारण एवं ठेकेदार द्वारा पुनः प्रारम्भ नहीं करने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका। उक्त कार्य मैसर्स जय भवानी कंस्ट्रक्शन, देवड़ा को स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त ठेकेदार को कुल 11 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 6 कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं 5 कार्य अपूर्ण रहे। 5 अपूर्ण रहे कार्यों में ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 एवं 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है। विवरण प्रपत्र-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) चरना मुण्डवई माइनर जगपुरा नहर की 8.8 कि.मी. से निकलती है। जगपुरा नहर के कार्य अभी निर्माणाधीन हैं एवं इसके 8 कि.मी. तक ही अभी आंशिक रूप से पानी उपलब्ध कराया गया है। अतः इन कार्यों के पूर्ण नहीं होने से सिंचाई राजस्व की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

मैसर्स जय भवानी कन्सट्रक्शन, देवड़ा को भवन एवं दाईं मुख्य नहर खण्ड से आवंटित कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	कब से आवंटित	कार्य की स्थिति	ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(अ)	**पूर्ण किये गये कार्यों की सूची**			
1.	कन्सट्रक्शन आफ वी.आर.बी.एट. आर.डी. 6780 मी. ओन जगपुरा नहर	दिसम्बर-1993	कार्य पूर्ण	—
2.	निर्माण कार्य साइफन एक्वडक्ट आर.डी. 6395 मी. जगपुरा नहर।	दिसम्बर-1991	कार्य पूर्ण	—
3.	रिपेयरिंग आफ आर.एम.सी. आर.डी. 29 से 50 कि.मी.	सितम्बर-1992	कार्य पूर्ण	—
4.	निर्माण कार्य पाइप टाइप साइफन एक्वडक्ट कार्य आर.डी. 10955 जगपुरा नहर।	दिसम्बर-1992	कार्य पूर्ण	—
5.	रेस्टोरेशन आफ देवद्रा माइनर आर.डी. 1 कि.मी. से टेल तक	सितम्बर-1993	कार्य पूर्ण	—
6.	एम.एण्ड आर. आफ लाइनिंग/पक्का कार्य आफ हेरो कैनाल आर.डी. 1 कि.मी. से 20.34 कि.मी.	अक्टूबर-1994	कार्य पूर्ण	—

क्र.सं.	कार्य का नाम	कब से आवंटित	कार्य की स्थिति	ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(ब)	**अपूर्ण कार्यों की सूची**			
1.	रिमोडलिंग कार्य साइफन एक्वडक्ट दा.मु.न. 27851 कि.मी.	मई-1993	50 प्रति. कार्य पूर्ण	अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	जगपुरा नहर की आर.डी. 8865 पर फाल का निर्माण कार्य	जनवरी-1993	10 प्रति. कार्य पूर्ण	अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	जगपुरा नहर की आर.डी. 7350 पर वी.आर.बी. का निर्माण कार्य	दिसम्बर-1991	60 प्रति. कार्य पूर्ण	अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	देवद्र माइनर 1 कि.मी. से टेल तक का रेस्टोरेशन कार्य	सितम्बर-1993	20 प्रति. कार्य पूर्ण	अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	चरना मुण्डवई माइनर 0 से 1 कि.मी. का निर्माण कार्य	अगस्त-1995	60 प्रति. कार्य पूर्ण	अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत अधिकतम 10 प्रतिशत पेनेल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।

श्रीगंगानगर में चल/अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन

118. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह भी सही है कि पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग द्वारा चल-अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन डी.एल.सी. आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो श्रीगंगानगर में इसमें क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला श्रीगंगानगर पंजाब राज्य का पड़ौसी होने के कारण पंजाब में कुछ वर्ष पूर्व आतंकवाद के कारण अधिकांश लोग पंजाब से पलायन कर श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में आकर बस गए तथा सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त की और सम्पत्तियों के भाव एक दम बढ़ गए तथा डी.एल.सी. का निर्धारण भी उस समय की मांग के अनुसार किया जा रहा है परन्तु वर्तमान में वह स्थिति नहीं है? क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि स्टाम्प ड्यूटी अत्यधिक होने के कारण लोग इकरारनामों पर ही खरीद फरोख्त कर लेते हैं, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है?

(4) क्या सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डी.एल.सी. की दरों में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन जिला स्तरीय (समिति द्वारा अभिशासित दरों के आधार पर किया जाता है। अन्य जिलों की भांति श्रीगंगानगर जिले में भी अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिये जिला स्तरीय समिति विभिन्न क्षेत्रों के लिये पूर्व में प्राप्त इण्डेक्स दर, नगर विकास न्यास/नगरपालिका द्वारा विभिन्न भू-खण्डों की नीलामी में प्राप्त दर, जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के अनुभव एवं जानकारी को आधार मानकर जमीनों की बाजार दर का निर्धारण करती है।

(2) 1970 के दशक के आखरी एवं 1980 के दशक के प्रथम दो-तीन वर्षो में बेचान दस्तावेजों की संख्या अपेक्षा से अधिक रही थी। परन्तु उस समय बेचान दस्तावेजों का पंजीयन प्रतिफल पर ही होता था व इन्डेस दर को ज़मीनों के मूल्यांकन का आधार नहीं माना जाता था।

इन जिलों के कतिपय क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई वर्तमान दरें अधिक होने की बात जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 1.7.2000 में उठाई गई थी व कुछ क्षेत्र विशेष के लिये

(वित्त मंत्री)

दरों को कम कर संशोधित प्रस्ताव उप पंजीयक श्रीगंगानगर से मांगे गये थे। उक्त प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किये जा चुके हैं जो वर्तमान में समिति के समक्ष विचाराधीन हैं।

(3) इकरारनामों पर हुई खरीद फरोख्त की जानकारी विभाग को होने पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 66 सी के अन्तर्गत विभाग द्वारा मुद्रांक कर की वसूली हेतु कार्यवाही की जाती है।

(4) जी, नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतिरिक्त कलक्टर मुद्रांक एवं डी.आई.जी. स्टाम्प का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

192. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कार्यरत अतिरिक्त कलक्टर मुद्रांक एवं डी.आई.जी. स्टाम्प्स का कार्य अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का है? क्या इनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कलक्टर द्वारा लिखा जाता था? यदि हां, तो वर्तमान में किस अधिकारी द्वारा लिखा जाता है? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों का प्रतिवेदन आई.जी. द्वारा लिखे जाने से न्यायिक प्रक्रिया में विपरीत असर पड़ रहा है जिसके कारण जनता को न्याय नहीं मिल रहा है? क्या सरकार कलक्टर द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखाने का आदेश पुनः जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों को लक्ष्य दिये जाते हैं जिसके कारण गुणावगुण पर विचार किये बिना उपपंजीयक द्वारा भिजवाकर दस्तावेजों के मूल्यांकन को ऐसे के ऐसे ही निर्णय किया जाता है जिसके कारण जनता को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या सरकार उक्त प्रक्रिया को बदलकर पुनः न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कबसे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कार्यरत अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर व 11 उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) का कार्य कलक्टर (मुद्रांक) की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तक ही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का है।

यह सही नहीं है कि इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जिला कलक्टर द्वारा लिखे जाते थे। जब से ये पद क्रमोन्नत होकर सृजित हुये हैं तब ही से इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा ही भरे जाते रहे हैं। इन अधिकारियों को न्यायिक कार्य करने में मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त स्वतन्त्रता उपलब्ध है। इस परिपेक्ष्य में महानिरीक्षक द्वारा इन अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन

(वित्त मंत्री)

प्रतिवेदन लिखे जाने से ही न्यायिक प्रक्रिया में विपरीत असर पड़ता हो, सही नहीं है।

(2) राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में से एक विभाग होने के नाते विभाग को आवंटित लक्ष्यों को समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों में बांटकर राजस्व लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत इन अधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर ही प्रकरण निर्णित किये जाते हैं। राजस्व लक्ष्य के आवंटन व प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर निर्णय के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता को न्याय प्राप्त नहीं होने की बात सही नहीं है। तदनुसार वर्तमान प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान में संशोधन

193. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान में संशोधन की मांग सरकार के समक्ष कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की जाती रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार व कर्मचारी प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 28 अक्टूबर, 1999 को कनिष्ठ लिपिक पद के वेतनमान में संशोधन विषयक कोई लिखित समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कनिष्ठ लिपिक सहित मंत्रालयिक संवर्ग के वेतनमानों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य सरकार ने वेतनमान विसंगति के प्रकरणों की जांच हेतु श्री यतीन्द्र सिंह, सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं पूर्व-अध्यक्ष, राज. लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, जो अभी परीक्षणाधीन है।

राज्य कर्मियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण

194. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान को 3050 से बढ़ाकर 4000 तथा वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान को 4500 से 5000 करने हेतु कोई समिति गठित की है ? यदि हां, तो कब ? क्या समिति ने अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो कब तथा उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या क्रियान्विति की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार 6000 से 10000 के वेतनमान में तथा 10000-15200 के मध्य

(श्री रामस्वरूप)

रखे गये वेतनमान के अन्तराल में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकारी कर्मचारियों को देय समर्पित अवकाश के लाभ पर लगाई रोक को वर्तमान में सरकार हटाने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त लाभ वित्तीय वर्ष 2001-2002 में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) वेतनमान (नियम, 1998 में 6000 से 10000 का कोई वेतनमान नहीं है। अतः वेतनमान के अन्तराल के सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

195. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में ए.आर.पी. के तहत कितनी ग्रामीण योजनाएं स्वीकृत की गई? जिलेवार संख्या सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला–बाड़मेर व जैसलमेर में खण्डवार कितनी योजमाएं स्वीकृत की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों में ए.आर.पी. के तहत जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा 8856 ग्रामीण योजनाएं अनुमानित राशि 252.69 करोड़ रु. स्वीकृत की गई। जिलेवार संख्या सूची मय राशि के परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जिला–जैसलमेर व बाड़मेर में गत दो वर्षों में ए.आर.पी. के तहत जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा 335 योजनाएं स्वीकृत की गई। स्वीकृत योजनाओं का खण्डवार विवरण मय संख्या निम्न प्रकार है :—

जिला–जैसलमेर

क्र.सं.	खण्ड का नाम	योजनाओं की संख्या	राशि रु. (लाखों में)
1.	नगर खण्ड, जैसलमेर	48	282.29
2.	जिला खण्ड, जैसलमेर	23	141.72
3.	खण्ड, पोकरण	51	803.65
योग :	**जैसलमेर जिला**	**122**	**1227.66**
जिला–बाड़मेर			
1.	नगर खण्ड, बाड़मेर	21	408.55
2.	जिला खण्ड, उत्तर बाड़मेर	14	180.83
3.	जिला खण्ड, दक्षिण बाड़मेर	68	307.81
4.	राईजेप खण्ड, बाड़मेर	50	264.40
5.	खण्ड, बालोतरा–बाड़मेर	60	274.51
योग :	**बाड़मेर जिला**	**213**	**1436.10**

परिशिष्ट-"अ"

स्वीकृत योजनाओं की संख्या स्वीकृत राशि

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	11	26	3122.56	31.27
2	अलवर	550	382	312.02	312.22
3	बांसवाड़ा	68	212	45.02	140.57
4	बारां	112	82	77.80	68.93
5	बाड़मेर	113	100	941.38	494.72
6	भरतपुर	23	54	187.50	143.80
7	भीलवाड़ा	151	181	299.61	196.55
8	बीकानेर	5	10	40.97	255.17
9	बूंदी	62	148	34.76	75.32
10	चित्तौड़गढ	280	350	151.66	287.10
11	चूरू	12	14	74.08	54.45
12	दौसा	256	22	346.60	40.27
13	धौलपुर	21	15	175.23	626.69
14	डूंगरपुर	12	65	16.86	91.22
15	गंगानगर	20	88	30.61	815.70
16	हनुमानगढ़	2	30	52.79	130.66
17	जयपुर	67	162	248.02	647.80
18	जैसलमेर	43	79	762.78	464.88
19	जालौर	106	111	914.09	780.91

1	2	3	4	5	6
20	झालावाड़	231	228	115.45	136.79
21	झुझुनूं	486	248	522.88	732.35
22	जोधपुर	364	404	1249.91	934.89
23	करौली	124	28	118.33	147.57
24	कोटा	152	179	107.97	133.63
25	नागौर	89	227	394.96	879.21
26	पाली	120	191	3259.33	446.26
27	राजसमन्द	186	233	169.20	236.59
28	सीकर	345	245	200.25	330.89
29	सिरोही	87	93	302.86	438.07
30	सवाईमाधोपुर	35	150	17.50	262.50
31	टौंक	3	64	160.89	220.32
32	उदयपुर	77	220	127.68	129.65
	योग	**4215**	**4641**	**14581.55**	**10686.96**

ग्राम पंचायत–नाहरी, पंचायत समिति–रायपुर (भीलवाड़ा) के पम्प चालकों का बकाया भुगतान

196. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनता जल योजना को ग्राम पंचायत–नाहरी, पंचायत समिति–रायपुर (भीलवाड़ा) को वर्ष 1996 में हस्तान्तरित की गई ?

(2) क्या सरकार द्वारा पम्प चालक को प्रतियोजना, 500 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह व पम्प रख–रखाव पर 4000 रुपये प्रतिवर्ष नियमानुसार उक्त योजना हेतु देय है ?

(3) क्या सरकार द्वारा विगत वर्षों की मान देय बकाया राशि तथा पम्प के रख–रखाव की राशि ग्राम पंचायत–नाहरी को जनता जल योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और

(डा. रतन लाल)

इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उक्त दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या ग्राम पंचायत–नाहरी उक्त जनता जल योजना को वापस विभाग को सौंपना चाहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको लेने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम नाहरी की जनता जल योजना को ग्राम पंचायत–नाहरी को वर्ष 1996 में हस्तान्तरित किया गया था।

(2) जी हां, सरकार द्वारा पम्प चालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति योजना रु. 500/- प्रतिमाह व पम्प के रख-रखाव पर रु. 1000/- प्रति वर्ष मोनोब्लाक नियमानुसार जनता जल योजना हेतु ग्राम पंचायत को देय है। परन्तु शर्त यह है कि यदि योजना पर जल सम्बन्ध 200 से अधिक हो तो उसको राजस्व विभाग में जमा करानी होगी।

(3) जी हां, विगत वर्षों की मानदेय बकायात तथा पम्प रख-रखाव की राशि ग्राम पंचायत–नाहरी को जनता जल योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान में विलम्ब का कारण ग्राम पंचायत द्वारा योजना का रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध न कराना, नए स्वीकृत जल सम्बन्धों की राशि विभाग में जमा न कराना, 200 जल सम्बन्धों के अतिरिक्त कनेक्शनों का जल राजस्व विभाग में जमा न कराना तथा भुगतान हेतु बिल समय पर प्रस्तुत न करना है। इस बाबत विभाग द्वारा सरपंच, नाहरी को सूचित भी कर दिया गया है।

(4) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत नाहरी से प्राप्त नहीं हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में स्वीकृत कन्टींजेंसी पेयजल योजनाएं

197. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कन्टीजेंसी पेयजल की योजनाएं स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कन्टीजेन्सी ग्रीष्म 2001 के अन्तर्गत 16 पेयजल योजनाएं राशि रु. 68.33 लाख की स्वीकृत हुई हैं। स्वीकृत योजनाओं तथा इन योजनाओं पर व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कन्टीजेन्सी ग्रीष्म वर्ष 2001 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	सं. योजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह एवं वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	आगु. क्षेत्रीय जल योजना नैनोल-लुणीयासर	11/2000	4.55
2.	आगु. क्षेत्रीय जल योजना बिजरोलखेड़ा-गोलिया	11/2000	3.15
3.	-"- अमरपुरा सैली	11/2000	2.77
4.	-"- निम्बाऊ	11/2000	3.78
5.	आगु. योजना धन्ना की ढाणी (बिछावाड़ी)	11/2000	4.62
6.	आगु. क्षेत्रीय जल योजना सिल्लू-जैसला भाटकी	11/2000	4.62
7.	-"- चौहरा-लियादरा	11/2000	4.72
8.	-"- किलावा-आगार	1/2001	4.78
9.	-"- बरनवा	1/2001	4.62
10.	-"- डाबल	1/2001	4.62
11.	विस्तारिय योजना कुकडिया	1/2001	4.20
12.	आगु. जल योजना दातिया	1/2001	3.46
13.	-"- रिडका	1/2001	4.72
14.	-"- दांता	1/2001	4.30
15.	-"- सरवाना	1/2001	4.62
16.	क्षेत्रीय जलयोजना बाली-बमल	2/2001	4.80
	योग रुपये		**68.33 लाख**

पंचायत समिति–कठूमर (अलवर) में खारे पानी की समस्या

198. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति–कठूमर (अलवर) में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों को चिन्हित किया गया है? यदि हां, तो कितने ग्रामों को?

(2) क्या सरकार अब उनके शुद्धिकरण की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्णित क्षेत्र में खारे पानी से प्रभावित 51 ग्रामों को चिन्हित किया गया है।

(2) जी हां, उक्त ग्रामों में से 15 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की जाकर कार्य प्रगति पर है। 7 ग्रामों की योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शेष 29 ग्रामों हेतु भू–जल वैज्ञानिक से स्त्रोत का चयन करवाकर योजना बनाना प्रस्तावित है।

ग्रीन पार्क श्रीगंगानगर के उच्च जलाशय की सफाई

199. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रीन पार्क श्रीगंगानगर में बने उच्च जलाशयों की सफाई कब-कब करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुरानी आबादी के व्यक्तियों द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र दिया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना–पत्र में क्या-क्या समस्याएं थी? क्या उनका समाधान कर दिया गया है? प्रार्थना–पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में बिछाई गई पाइप लाइन कुछ स्थानों पर लीकेज हो रही है? क्या कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे जिससे गन्दा पानी मिक्स हो रहा है? क्या सरकार इसे दुरस्त कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्रीन पार्क श्रीगंगागनर में स्थित एक उच्च जलाशय की सफाई गत दो वर्षों में 2/99, 10/99, 5/2000 व 12/2000 में करवाई गई।

(2) जी, हां। एक शिकायत वार्ड पार्षद, धर्मपाल झरेड़ के नाम से दिनांक 2.3.2001 को प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्य-मुख्य शिकायतों का विवरण एवं निराकरण प्रपत्र-1 पर संलग्न है। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(3) प्राप्त लीकेजों की शिकायतों का निराकरण समय-समय पर किया जाता रहा है। गत छः माह में 399 प्राप्त लीकेजों की शिकायतों का निराकरण किया गया। उक्त क्षेत्र में 1.4.2000 से अब तक वितरित जल के 121 नमूने लिये गये एवं 120 सही पाये गये, शेष 1 नमूने की शिकायत का भी निराकरण कर, पुनः नमूने की जांच की गई एवं सही पाया गया।

प्रपत्र-1

क्र.सं.	समस्या का नाम	समाधान
1.	ग्रीन पार्क उच्च जलाशय की सफाई बाबत।	उच्च जलाशयों की सफाई वित्तीय वर्ष में दो बार की जाती है। वर्ष 2000-01 में 5/2000 को करवाई थी। अतः उपरोक्त टंकी की सफाई इसी दि. 31.3.2001 में करवा दी जाएगी। माह 12/2000 को वाशआउट खोलकर सफाई कराई गई थी।
2.	सड़क निर्माण के पूर्व पाइप लाईन बिछाने बाबत।	पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य बजट/पाइप की उपलब्धता के मध्यनजर ही किया जा रहा है। वर्तमान में बजट कम उपलब्ध होने के कारण वितरण लाइनों को वरीयता नहीं दी जा सकी है।
3.	लीकेज में रबड़ पट्टी का प्रयोग करने बाबत।	लीकेज का निराकरण सी.आई.डी. जोइन्ट्स लगाकर ही किया जाता है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटी लाइनों में चालू सप्लाई में तत्काल लीकेज निवारण हेतु कभी-कभी अस्थाई तौर पर रबड़ पट्टी का उपयोग किया जाता है जिसको सप्लाई बंद होने पर जोइन्ट्स लगाकर सही किया जाता है।

दिनांक : 26.2.01

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय : जन. स्वा. अभि. विभाग के पुरानी आबादी कार्यालय की कार्य-प्रणाली बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में श्रीमान्जी से निवेदन है कि श्रीगंगानगर नगर खण्ड में ग्रीन पार्क कार्यालय अपने कार्य के प्रति बिलकुल भी गम्भीर नहीं है। जन स्वा. अभि. विभाग के उच्चाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के स्पष्ट आदेश है कि उच्च जलाशयों की सफाई 6 माह बाद होती रहनी चाहिये व सफाई को दिनांक व आगामी सफाई की दिनांक टंकी पर लिखवाई जानी चाहिये लेकिन ग्रीन पार्क कार्यालय स्थित जलाशय पर आज भी वर्षों पूर्व की दिनांक अंकित है। टंकी पर सफाई दिनांक 14.01.96 व आगामी सफाई दिनांक 14.07.96 अंकित है। जैसा कि विदित है कि श्रीगंगानगर शहर में सड़कों व नालियों को पक्का बनाने का कार्य प्रगति पर है। जन स्वा. अभि. विभाग भी यहां-वहां अपनी पाइप लाइन बिछाता रहता है। इस मामले में हमने कई बार विभाग से व्यक्तिगत मिलकर यह निवेदन किया कि जहां पक्की सड़क बननी हैं या बन रही है, वहां पहले पाइप लाइन बिछा देवें ताकि सड़क भी ना टूटे व राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान भी ना हो लेकिन अधिकारियों के अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने के कारण आज इस क्षेत्र में (अभी-अभी) बनी सड़कों को जगह-जगह से तोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार पीने के पानी की व्यर्थता को रोकने के लिये समय-समय पर इस विभाग के अधिकारियों को परिपत्र जारी करती रहती है लेकिन यहां अभियन्ता समय पर लिकेज भी ठीक नहीं करवाते, लिकेज से सम्बन्धित कार्यालय में शिकायत लिखवाने जाते हैं तो वो लिकेज की जगह रबड़ पट्टी बांधकर आ जाते हैं, जो एक-दो दिन बाद वापस लिकेज हो जाती है। कार्यालय में दुबारा सम्पर्क किया जाता है तो कर्मचारी विवशता जाहिर करते हैं कि कनिष्ठ अभियन्ता हमारे को समय पर सामान उपलब्ध नहीं करवाते, इसलिये हमारे पास रबड़ पट्टी बांधने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। खण्डीय कार्यालय से पता करने पर हमें यह भी मालूम हुआ कि इस विभाग

में लीकेज ठीक करवाने का ठेका दिया हुआ है, हो सकता है कि ठेकेदार को भी यह अभियन्ता नाजायज फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय में तुरन्त ही कोई सकारात्मक कदम उठावें क्योंकि ऐसे लापरव ाह अधिकारी राज्य की आर्थिक स्थिति तो खराब करते ही हैं, साथ ही राज्य सरकार की छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय
ह०/-
(धर्मपाल झोरड़)
पार्षद व रामनगर अध्यक्ष
श्रीगंगानगर

विधान सभा क्षेत्र चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों का पदस्थापन

200. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खण्ड चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कर्मचारी परस्थापित हैं? उक्त में से कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र पदस्थापित हैं और कितने पद रिक्त हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध ग्रामसभा व ग्राम पंचायत द्वारा अनुपस्थित रहने के प्रस्ताव पारित करने पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये? सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष 2000-2001 में कितने आकस्मिक निरीक्षण किये गये और कितने कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये व कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि चूरू के गांव-खण्डवा में गत 1 वर्ष से कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं? क्या यह भी सही है कि दिनांक 15 मई, 2000 तथा 2 अक्टूबर, 2000 को ग्रामसभाओं मे तथा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उक्त गांव में कर्मचारी को पदस्थापित करने की मांग पंचायत समिति के सम्बन्धित सदस्यों ने की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या यह भी सही है कि खण्डवा ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2001 तथा 22 फरवरी, 2001 को भी ग्राम में कर्मचारी पदस्थपित कराने की मांग की गई थी? यदि हां, तो ग्रामवासियों की मांग पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड, चूरू के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की जल योजनाओं पर कुल 305 कर्मचारी पदस्थापित हैं। उक्त में से 1 कर्मचारी ग्रामीण उपखण्ड, चूरू से ग्रामीण उपखण्ड, सरदारशहर में प्रतिनियुक्ति पर है तथा वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) ग्रामसभा व ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रति जन. स्वा. अभि. विभाग, चूरू को ना तो उपलब्ध कराई गई और ना ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी विभाग को दी गई तथापि, जिला कलक्टर, चूरू की अभिशंषा पर कर्मचारी को अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहने पर सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा जल योजना, भैरूंसर, खण्ड चूरू से वृत बीकानेर स्थानान्तरित किया गया। सहायक अभियन्ता, ग्रामीण द्वारा वर्ष 2000-2001 में विभिन्न जल योजनाओं के 51 बार आकस्मिक निरीक्षण किये गये एवं निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये 2 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलम्बित किया गया।

(3) जी, हां। ग्राम-खण्डवा में गत 1 वर्ष से कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं था। ग्रामसभा व ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रति जन. स्वा. अभि. विभाग, चूरू को ना तो उपलब्ध कराई गई और ना ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी विभाग को दी गई। वर्तमान में एक कर्मचारी को ग्राम-खण्डवा में पदस्थापित कर दिया गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी, हां। ग्रामवासियों द्वारा 15.1.2001 व 22.2.2001 को ग्राम–खण्डवा में कर्मचारी पदस्थापित करने की मांग की गई थी। अब ग्राम–खण्डवा में 1 कर्मचारी को पदस्थापित कर दिया गया है।

अटरू नगर (छबड़ा) के रास्ते पर अतिक्रमण

201. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 27 अगस्त, 2000 को उप जिला कलक्टर, छबड़ा ने सालपुरा सड़क पर स्थित अटरू नगर में रास्ता खुलासा करवाने हेतु कोई आदेश किये थे? क्या अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार, अटरू को मूल प्रार्थना-पत्र पर आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रार्थी द्वारा रास्ता खुलासा करने हेतु बार-बार निवेदन करने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत की गई है? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं कर सरपंच, ग्राम पंचायत को कार्यवाही हेतु लिखा? यदि हां, तो अब तक सरपंच द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर क्या तहसीलदार द्वारा आदेश की पालना हेतु सरपंच से पूछा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या एस.डी.एम., छबड़ा द्वारा तहसीलदार, अटरू से पालना रिपोर्ट मांग कर प्रार्थी को अवगत करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) अब तक अतिक्रमण नहीं हटाने के क्या कारण रहे तथा कब तक अतिक्रमण हटा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसीलदार, अटरू द्वारा रास्ते सम्बन्धी अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी निर्णय पारित कर दिनांक 2.2.2001 को भू.अनि., अटरू को पाबन्द किया गया था परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपीलेट न्यायालय अति., जिला कलक्टर, बारां से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रकरण अति. कलक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में दिनांक 12.1.2001 को जिला कलक्टर, बारां को शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र दिनांक 19.1.2001 द्वारा तहसीलदार, अटरू को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

(3) तहसीलदार, अटरू द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत को कार्यवाही हेतु लिखा गया था परन्तु ग्राम पंचायत हेतु लिखा गया था परन्तु, ग्राम पंचायत द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 के तहत कार्यवाही नहीं करने के कारण तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण को धारा 251 में दर्ज कर नियमानुसार निर्णित किया गया।

(राजस्व मंत्री)

(4) उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा तहसीलदार, अटरू से प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर तहसीलदार, अटरू द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। प्रार्थी द्वारा पुनः उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा से इस सम्बन्ध में कोई सम्पर्क नहीं किया गया, क्योंकि पूर्व में मूल प्रार्थना–पत्र ही उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने तहसील स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे। अतः प्रार्थी से सम्पर्क व पते के अभाव में प्रार्थी को सूचित किया जाना सम्भव नहीं था।

(5) प्रकरण के पंचायत स्तर पर लम्बित रहने व बाद में तहसीलदार, अटरू के निर्णय उपरान्त अपीलेट कोर्ट के स्थगन के कारण अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। वर्तमान में प्रकरण अपीलेट न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय न्यायालय से प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के बाद ही कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

ग्राम–बड़वा (जयपुर) में मंदिर श्री सीतारामजी की भूमि का नामान्तरकरण

202. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंदिर श्री सीतारामजी (विराजमान लक्ष्मण द्वारा सिटी पैलेस, जयपुर) की भूमि ग्राम–बड़वा, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर में स्थित है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण मंदिर के नाम दर्ज किए जाने का प्रकरण वर्षों से विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है व कब तक उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर की महातमी जिसके नाम हुई है उसके स्थान पर अन्य नाम दर्ज कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है व क्या इसको दुरस्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूमि एकीकरण रजिस्टर ग्राम–बड़वा, तहसील–बस्सी के खाता संख्या–192 के अन्तर्गत नाम भोक्ता के कालम में माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके, जयपुर पुजारी भौंरीलाल वल्द भागीरथ कोम ब्रा. साकिन, जयपुर दर्ज है एवं कालम कृषक के अन्तर्गत खुदकाश्त माफी मंदिर अंकित है। भूमि का विवरण निम्नानुसार है: —

खसरा नं.	रकबा
116	12 बीघा 01 बिस्वा
117	– 05 बिस्वा
145	10 बीघा 03 बिस्वा
कुल	**22 बीघा 09 बिस्वा**

परन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2056 से 59 में उक्त आराजीयात नरेन्द्र कुमार दस्तक पुत्र भौंरीलाल जाति ब्राह्मण सा., जयपुर के नाम अंकित है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(2) उक्त भूमि वापस मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण संख्या 260/99 न्यायालय अति. कलेक्टर जयपुर-प्रथम के यहां न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही हो सकेगी।

(3) जी नहीं।

जैसलमेर में सरकारी मन्दिरों पर अतिक्रमण

203. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर रियासत के विलीनीकरण के समय देवस्थान विभाग को छः मन्दिर सुपुर्द किये जिसकी सारी जायदाद सरकार की थी?

(2) क्या उक्त में से कुछ मन्दिरों पर पुजारियों ने कब्जे कर रखे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सरकारी मन्दिरों की सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर रियासत के विलीनीकरण के समय देवस्थान विभाग को छः मन्दिर सुपुर्द नहीं कर निम्न दो मंदिर सुपुर्द किये गये थे जिसकी सारी जायदाद सरकार की थी व वर्तमान में भी सरकार की है :—

1. मंदिर श्री बांकड़े बिहारी जी (प्रत्यक्ष प्रभार), जैसलमेर।
2. मंदिर श्री गिरधारी जी (प्रत्यक्ष प्रभार), जैसलमेर।

(2) यह गलत है। उक्त दोनों मंदिरों के कब्जे अभी भी विभाग के पास हैं।

(3) उक्त दोनों मंदिर अभी भी राज्य सरकार के अधीन व कब्जे में होने से सूचना शून्य समझी जावे।

जैसलमेर जिले के विचाराधीन बैरल पाइंट

204. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में कितने बैरल पाइंट स्वीकृत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व नये बैरल पाइंट स्वीकृति हेतु आवेदन मांगे थे जिसका निस्तारण नहीं हुआ था? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नये काश्तकारों को भूमि आवंटित होने से सैकड़ों ट्रैक्टर भूमि समतल करने में लगे हैं? उक्त क्षेत्र में नये बैरल पाइंट देने की क्या व्यवस्था है?

(4) क्या सरकार जैसलमेर में हुई उक्त अव्यवस्था सुधारने हेतु अविलम्ब बैरल पाइंट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में तीन बैरल पाइन्ट निम्न स्थानों पर स्वीकृत हैं :—

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

भणियाणा — 2
रातडिया – 1

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण इस कार्य के लिए गठित कमेटी की अनुशंषा के बाद किया जाना है। इस कमेटी द्वारा अभी जैसलमेर क्षेत्र के आवेदकों के साक्षात्कार नहीं लिये गये हैं एवं इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अभी निस्तारण नहीं हुआ है।

(3) पूरे जैसलमेर जिले में ही नए बैरल पाइन्ट देने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गए थे जिनका निस्तारण होना शेष है।

(4) बैरल पाइन्ट को लेकर कोई अव्यवस्था नहीं है। जहां तक बैरल पाइन्ट स्वीकृत करने का प्रश्न है कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बैरल पाइन्ट स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।

राज्य में बेरोजगारों को रोजगार

205. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) एवं **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1998 में कुल कितने छात्र बेरोजगार थे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं? क्या बेराजगार की गिनती सरकार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत को मानती है? यदि नहीं, तो बेरोजगारों की संख्या का पता लगाने का क्या आधार है?

(3) क्या सरकार भविष्य में बेरोजगारों हेतु रोजगार के अवसर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व किस क्षेत्र में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छात्र बेरोजगारों की सूचना रोजगार कार्यालयों में एकत्रित नहीं की जाती है। शिक्षित बेरोजगारों एवं अशिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में इच्छुक आशार्थियों का पंजीकरण किया जाता है।

(2) राज्य में रोजगार कार्यालयों में 31.12.2000 को कुल 793662 व्यक्ति बेरोजगार के रूप में पंजीकृत थे।

जी नहीं, बेरोजगारों की गिनती सरकार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों से ही नहीं मानती है। बेरोजगारों की संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि बेरोजगार आशार्थियों का रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। बेरोजगारों की वास्तविक संख्या का पता जनगणना सम्बन्धी सूचना के आधार पर लगाया जा सकता है।

(3) जी हां, सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयासरत है। राज्य में सरकार राजकीय संस्थानों, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रिक्त पदों के विरुद्ध रोजगार प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराती है, इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, मुख्य मंत्री रोजगार योजना आदि

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।

रायपुर लूनी नदी बांध, पाली का सिंचाई के लिए उपयोग

206. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली मे किस-किस बांध का पानी इस वर्ष रबी की फसल के लिये काश्तकारों को दिया गया और वर्तमान में उक्त बांधों में कितना-कितना पानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कई बांधों का पानी सिंचाई के लिये नहीं देकर पेयजल के लिये आरक्षित रखा गया था? यदि हां, तो उनमें से किस-किस बांध से कितने पानी का उपयोग अब तक पेयजल के लिये किया गया है और किस-किस बांध के पानी का उपयोग अभी तक पेयजल के लिये नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिले के रायपुर लूनी नदी बांध का पानी पेयजल के लिये आरक्षित रखने के लिये विभाग को प्रारम्भ में ही जलदाय विभाग से निर्देश प्रदान किये थे? क्या कुछ समय बाद में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होने पर सिंचाई के लिये देने के आदेश सरकार द्वारा जार किये गये? क्या उक्त बांध से अब तक एक गैलन पानी भी पेयजल के लिये उपयोग में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो फिर काश्तकारों को मात्र दो पाण सिंचाई के लिये पानी देने के क्या कारण रहे और बांध में अभी कितना पानी है?

उत्तर

(1) पाली जिले के 8 (आठ) बांधों से इस वर्ष रबी की फसल के लिए काश्तकारों को पानी दिया गया एवं वर्तमान में इन बांधों में उपलब्ध पानी का विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) पाली जिले के जिन बांधों से पेयजल के लिए पानी आरक्षित किया गया तथा आरक्षित पानी के विरुद्ध उपयोगिता का विवरण परिशिष्ट-"ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं। रायपुर लूनी बांध का पानी पेयजल के लिए आरक्षित रखने के लिए सिंचाई विभाग को प्रारम्भ में जलदाय विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जिला कलेक्टर, पाली की अध्यक्षता में रायपुर बांध से जल वितरण की बैठक फसल रबी संवत 2057 वर्ष 2000-2001 के लिए दि. 8.11.2000 को हुई जिसमें पेयजल के लिए सर्वसम्मति से डेड स्टोरेज जो कि 56.25 मिलीयन घन फुट है, के सहित 75.00 मिलीयन घन फुट पानी आरक्षित करने का तथा शेष पानी सिंचाई के लिऐ दो पाण शत प्रतिशत कमाण्ड क्षेत्र में देना तय किया गया। पेयजल के लिए आरक्षित 75.00 मिलीयन घन फुट पानी को छोड़ शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग कर लिया गया है। वर्तमान में बांध 69.89 मिलीयन घन फुट पानी डेड स्टोरेज सहित उपलब्ध है, जिसका उपयोग जलदाय विभाग द्वारा अभी तक पेयजल के उपयोग में नहीं लिया गया है, क्योंकि उक्त पानी आने वाली गर्मियों में उपयोग किया जाने हेतु आरक्षित हैं।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 2000-01 में रबी की फसल हेतु बांधों से काश्तकारों को दिया गया पानी का विवरण

क्र. सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	बांध में 30.9.2000 को उपलब्ध पानी एम.सी.एफ.टी.	जल वितरण की बैठक में सिंचाई के लिए आरक्षित किये गये पानी की मात्रा एम.सी.एफ.टी.	वर्तमान में बांध में उपलब्ध शेष पानी की मात्रा एम.सी.एफ.टी.
1.	रायपुर लूनी बांध	रायपुर	360.53	285.53	69.89
2.	राजसागर चौपड़ा	सोजत	57.55	42.55	–
3.	मिठड़ी बांध	बाली	288.00	208.00	44.72
4.	गजनेई बांध	सोजत	167.54	152.54	10.00
5.	फुलाद बांध	मा.जं.	68.41	53.41	15.00
6.	कंटालिया बांध	—"—	86.46	61.46	25.00
7.	गिरीनंदा बांध	रायपुर	168.24	156.24	10.00
8.	जवाई बांध	सुमेरपुर	3430.30	709.50 (800)	1755.75

परिशिष्ट-"ब"

वर्ष 2000-2001 में पेयजल हेतु आरक्षित पानी की बांधवार सूची (मात्रा एम.सी.एफ.टी. में)

क्र.सं.	बांध का नाम	बांध की डेड स्टोरेज	भराव क्षमता उपयोगी भराव क्षमता	30.9.2000 तक बांध में उपलब्ध पानी	पेयजल हेतु आरक्षित पानी	सिंचाई हेतु आरक्षित पानी	वर्तमान में बांध में उपलब्ध पानी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सरदार समंद	–	3115.64	227.12	227.12	–	25.00	25 एमसीएफटी पानी पूर्व महाराजा के बगीचे के लिए आरक्षित शेष पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया गया है।
2.	हेमावास	–	2209.00	566.91	566.91	–	–	आरक्षित पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया गया है।
3.	खारडा	–	664.00	46.32	46.32	–	–	–"–
4.	वाणियावास	23.00	150.00	27.79	27.79	–	–	–"–
5.	कंटालिया	5.29	183.15	86.46	25.00	61.46	25.00	पेयजल हेतु आरक्षित है।
6.	सिरयारी	12.28	145.92	44.57	44.57	–	15.00	–"–
7.	फुलाद	8.04	123.41	68.41	15.00	53.41	15.00	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित है।
8.	गजनेई	3.46	221.52	167.54	15.00	152.54	10.00	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग के लिए ले लिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	सारण	6.00	60.00	8.30	8.30	42.55	–	पेयजल हेतु आरक्षित है।
10.	राजसागर चौपड़ा	1.00	287.04	57.55	15.00	156.24	–	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग के लिए ले लिया गया है।
11.	गिरिनन्दा	2.73	197.27	167.24	12.00	–	10.00	आरक्षित पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया गया है।
12.	बाबरा	7.41	125.70	35.90	35.90	–	–	आरक्षित पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया गया है।
13.	बर	–	58.72	11.71	11.71	–	–	आरक्षित पानी पेयजल हेतु उपयोग में लिया गया है।
14.	मीराकुड़की	1.48	29.52	20.55	20.55	–	–	पेयजल हेतु आरक्षित है।
15.	रायपुर लूनी	56.25	387.00	360.53	75.00	285.53	69.89	–"–
16.	सादडी	–	205.00	127.93	127.93	–	103.45	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग
17.	मुथाना	9.00	116.50	31.00	31.00	–	–	के लिए ले लिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	घोड़ादड़ा	6.00	99.00	12.75	12.75	–	–	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग के लिएँ ले लिया गया है।
19.	मिठड़ी	14.00	293.82	288.00	80.00	280.00	44.72	पेयजल हेतु आरक्षित है।
20.	राजपुरा	2.65	87.05	50.98	50.98	–	20.00	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित है।
21.	जूणामलारी	2.49	59.51	17.51	17.51	–	–	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग के लिए ले लिया गया है।
22.	छोड़ावाला	1.97	53.50	14.53	14.53	–	–	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित पानी उपयोग के लिए ले लिया गया है।
23.	शिवनाथ सागर	–	45.00	20.00	20.00	–	–	—"—
24.	लटाड़ा	4.27	47.96	31.46	31.46	–	10.00	जानवरों के पीने हेतु आरक्षित है।
25.	जवाई बांध	494.50	6843.00	3430.30	965.05	709.50	1755.75	दिनांक 21–3–01 जलदाय विभाग को 965.05 मि.घ.फु. पानी दिया गया।

जिला धौलपुर में बांधों से सिंचाई

207. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में सिंचाई हेतु कितने जलाशय/तालाब हैं और इनसे निकलने वाली नहरों से किन-किन ग्रामों में सिंचाई की जाती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष तालाबों मे पर्याप्त मात्रा में पानी होते हुए भी उर्मिला सागर की मोरी को लीकेज बताकर पानी नदी में निकला दिया गया? क्या इससे ग्राम बसई सामन्ता, सूरजपुरा, पंचगांव, नरपुरा, रूंद की जमीन बिना फसल के बंजर पड़ी रह गई?

(3) क्या यह भी सही है कि पार्वती बांध में पर्याप्त पानी होते हुए भी नहरों की मरम्मत नहीं की गई जिससे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के सैपऊ मण्डल की सारी जमीन बंजर पड़ी रह गई? क्या सरकार उक्त नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में सिंचाई विभाग के 25 बांध है उनमें से 14 बांधों में नहर से तथा 11 बांधों में पेटा काश्त सिंचाई होती है। 14 बांधों से निकलने वाली नहरों से जिन-जिन ग्रामों में सिंचाई की जाती है कि सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस वर्ष वर्षा के अभाव के कारण उर्मिला सागर बांध में 557 एमसीएफटी क्षमता के विरूद्ध 319 एमसीएफटी पानी ही भर पाया। उर्मिला सागर की मोरी में रिसाव होने से नहर बंद रहने के समय भी कुछ पानी नहर में चलता रहा था जिसका उपयोग सांदरा एवं मसूदपुर ग्राम के कृषकों ने सिंचाई हेतु किया। बांध में पानी कम होने के कारण ग्राम बसई एवं सामन्ता के आंशिक भाग एंव ग्राम सूरजपुरा, पंचगांव, नरपुरा एवं रूंद गांव को पानी नहीं दिया जा सका। अतः लीकेज के कारण सिंचाई में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(3) यह सही है कि बजट के अभाव में नहरों की आवश्यक मरम्मत नहीं कराई जा सकी परन्तु पार्वती बांध के जल आवक क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण बांध में पर्याप्त पानी नहीं आया एवं उसकी क्षमता 3633.66 एमसीएफटी के विरुद्ध मात्र 945.92 एमसीएफटी पानी ही आया। अतः सेपऊ मण्डल की अधिकांश जमीन को सिंचाई सुविधा नहीं दी जा सकी। उक्त नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंद-बूंद एवं फव्वारा पद्धति से नहरी क्षेत्र में सिंचाई

208. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बूंद-बूंद एवं फव्वारा तकनीक से सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामप्रताप)

(2) क्या उक्त हेतु कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या इस तकनीक हेतु अलग से पानी की मात्रा आरक्षित की है? यदि हां, तो कुल पानी की कितने प्रतिशत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा एवं गंगा नहर से आरक्षित की गई है? गत वर्ष उक्त तीनों नहर प्रणालियों में कितने काश्तकारों को उक्त नीति का लाभ दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(9) मा.क्र./सिं/98 दिनांक 20-10-99 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प-7(9) सिं/मा.क्र./98 दिनांक 15-5-2000 द्वारा प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में फलों के बगीचों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियम बनाएं हैं प्रतिलिपि परिशिष्ट-"अ" एंव "ब" संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त नीति के तहत इंदिरा गांधी, भाखरा एवं गंग नहर में कुल उपलब्ध जल संसाधन का एक प्रतिशत तक पानी इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। गंग कैनाल में उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत एक कृषक को सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

Irrigation Department

Government of Rajasthan

क्रमांक एफ.7(9) मा.क्र./सिं/98 दिनांक : शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 1999
बुधवार, 20 अक्टूबर, 1999

आदेश

प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में फलों के बगीचों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्न आदेश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :—

(1) किसी भी बांध अथवा नहर प्रणाली में कुल उपलब्ध जल संसाधन का एक प्रतिशत तक पानी इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे अधिक पानी की आवश्यकता हो तो स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी होगी।

(2) केवल उन्हीं व्यक्तियों को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा जो पानी की बचत हेतु बूंद-बूंद अथवा फव्वारा सिंचाई जैसे साधनों का उपयोग करेंगे। पानी की आपूर्ति प्रारम्भ तभी की जाएगी जब सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी सुनिश्चित कर ले कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार उचित मात्रा तक सिंचाई उपकरण लगा दिये गए हैं।

(3) बगीचों हेतु पानी आपूर्ति परियोजना/क्षेत्र के साधारण Water allowance के 2 गुना से अधिक नहीं होगी।

(4) पानी की आपूर्ति हेतु आदेश 3 साल के लिए जारी किया जाएगा। इन आदेशों को 3-3 साल के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। आदेश जारी करने एवं नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सक्षम होंगे।

(5) बगीचों के लिए जल आपूर्ति का सिंचाई कर, साधारण दर से, 4 गुणा होगा।

(6) इस जल का उपयोग केवल मात्र फलों के बगीचों को विकसित करने हेतु ए किया जा सकेगा। यदि अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है तो पानी की आपूर्ति तत्काल बन्द की जा सकती है तथा सम्बन्धित काश्तकार से शास्ति स्वरूप साधारण दर के 8 (आठ) गुणा दर से सिंचाई कर वसूल किया जाएगा।

कतिपय मामलों में, पूर्व में बीकानेर रियासत के नियमों के तहत अथवा अन्य नियमों के अन्तर्गत फलों के बगीचों हेतु पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन सभी व्यक्तियों को दिनांक 15-11-99 तक सूचित किया जायेगा कि 6 माह के अन्दर-अन्दर नये नियमों के तहत पुनः आवेदन करें एवं बूंद-बूंद/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपना ले। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो नोटिस जारी करने के 6 माह पश्चात, पानी की आपूर्ति बन्द कर दी जायेगी। ऐसे आवेदनकर्ताओं को इन नये नियमों के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता से जल उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य सभी व्यक्तियों को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर पानी दिया जा सकेगा।

कृपया इस आदेश को सर्व-साधारण की जानकारी में लायें।

हस्ताक्षर

(जे. एस. सेतिया)
विशेषाधिकारी
सिंचाई विभाग

परिशिष्ट-"ब"

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

क्रमांक : प.7(9)सिं/मा.क./98 दिनांक : 15 मई, 2000

प्रार्थी को पानी देने के सम्बन्ध में गंग कैनाल फ्रूट गार्डन एसोसिएशन के रिट पिटीशन संख्या 797/2000 पर मा. मुख्य न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2000 के निर्देशानुसार माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ज्ञापन का अध्ययन किया गया एवं यदि उचित समझा गया कि पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए नये फल बगीचों को ड्रिप सिंचाई के संयंत्र से सिंचाई करना आवश्यक कर दिया जाए तथा पुराने फल बगीचों (अर्थात् जिन बागान में पौधों की आयु 3 वर्ष से अधिक) को सिंचाई पद्धति अपनाने की बाध्यता फिलहाल स्थगित रखी जाती है।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

सहायक शासन सचिव

सिंचाई (माही कडाना) विभाग

श्री मिलाप चंद मेहता

एडवोकेट, जोधपुर

हरिके बैराज से प्राप्त पानी

209. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में हरिके बैराज से इन्दिरा गांधी फीडर हेतु 10 रोजा आधार पर राजस्थान का हिस्सा कितना तय हुआ था और मांग-पत्र कितना दिया गया व पानी कितना प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तयशुदा हिस्से से ज्यादा मांग पत्र दिया गया तथा ज्यादा पानी प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 मे हरिके बैराज में इन्दिरा गांधी फीडर 10 रोजा आधार पर (1-4-2000 से 20-3-2001) राजस्थान का हिस्सा 5.072 एम.ए.एफ. तय हुआ था जिसके विरूद्ध इन्दिरा गांधी फीडर को 5.324 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त हुआ। 10 रोजा विवरण परिशिष्ट-"1 से 2" संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि तयशुदा हिस्से से ज्यादा मांग पत्र दिया गया परन्तु भाखरा ब्यास प्रबन्धन मण्डल द्वारा निर्धारित जल आवंटन से इस वर्ष के दौरान राज्य को कुछ अधिक पानी प्राप्त हुआ क्योंकि कुछ प्रारम्भिक एवं अन्य अवधि में पंजाब द्वारा हरिके बैराज पर अधिक पानी छोड़ा गया है।

परिशिष्ट-1

अप्रैल, 2000 से 20 मार्च, 2001 तक इन्दिरा गांधी फीडर में आवंटित एवं प्राप्त जल का दैनिक विवरण

डेटा क्यूसेक्स दिवस

माह एवं अवधि 1	निर्धारित जल आवंटन 2	वास्तविक जल प्राप्ति 3	अधिक/कमी 4
अप्रैल, 2000			
1-10	70000	112942	42942
11-20	72000	104075	33075
21-30	70000	94542	24542
मई, 2000			
1-10	70000	71991	1991
11-20	70000	93633	23633
21-31	77000	91444	14444
जून, 2000			
1-10	82000	72926	(–)9074
11-20	82000	76579	(–)5421
21-30	82000	80876	(–)1124

1	2	3	4
जुलाई, 2000			
1-10	105000	95552	(–)9468
11-20	105000	108234	3234
21-31	115500	99022	(–)16478
अगस्त, 2000			
1-10	105000	95618	(–)9382
11-20	105000	106517	1517
21-31	115500	96034	(–)1918
सितम्बर, 2000			
1-10	105000	105355	855
11-20	105000	109918	(–)4918
21-30	105000	118975	13975
अक्टूबर, 2000			
1-10	57000	85975	28975
11-20	57000	72225	15225
21-31	62700	62467	(–)233
नवम्बर, 2000			
1-10	60000	61218	1218
11-20	60000	67483	7483
21-30	60000	62143	2143
दिसम्बर, 2000			
1-10	68000	63518	(–)4482
11-20	68000	59404	(–)8596
21-31	70400	67566	(–)2834
जनवरी, 2001			
1-10	62000	63536	1536
11-20	37000	45176	8176
21-31	38500	43360	4860
फरवरी, 2001			
1-10	58000	48735	(–)9265
11-20	58000	41757	(–)16243
21-28	34400	35469	1069
मार्च, 2001			
1-10	26000	30865	4865
11-20	18000	16918	(–)1082
योग	**2536000**	**2662028**	**126028**
एम.ए.एफ.	**5.072**	**5.252**	**0252**

परिशिष्ट-2

हरिके बैराज से इन्दिरा गांधी फीडर हेतु 10 रोजा आधार पर
राजस्थान का तय किया गया हिस्सा, जारी मांग पत्र एवं प्राप्त पानी का विवरण

दस दिवसीय अवधि का विवरण	मूल मांग जो डिप्लीशन पीरियड के लिए प्रस्तावित की गई	संशोधित मात्रा जो माहवारी बैठकों में प्रस्तुती उपरांत डीबीएमबी से अनुमोदित हुई	पंजाब द्वारा जल आपूर्ति वास्तवित जो की गई		कुल जली आपूर्ति जो पंजाब राज्य द्वारा की गई	पंजाब द्वारा आपूर्ति में कम/अधिक जल की मात्रा का (दस दिवस का औसत)
			इन्दिरा गांधी फीडर	बीकानेर कैनाल		
1	2	3	4	6	7	8
सितम्बर, 2000						
दि. 21-30	12500	12500	11898	2191	14089	1589
अक्टूबर, 2000						
1-10	7250	7500	8597	1956	10553	3053
11-20	7250	7500	7222	1806	9028	1528
21-30	7250	7500	5679	1749	7428	(-)72

1	2	3	4	6	7	8
नवम्बर, 2000						
1-10	7500	7500	6122	1733	7855	355
11-20	7500	7500	6748	1535	8283	783
20-30	7500	7500	6214	1648	7852	362
दिसम्बर, 2000						
1-10	7500	8500	6352	1661	8013	(–) 487
11-20	7500	8500	5940	1532	7472	(–) 1028
21-30	7500	8500	6142	1597	7739	(–) 761
जनवरी, 2001						
1-10	7250	7750	6354	1638	7992	242
11-20	4050	5000	4517	1362	5879	879
20-31	4000	4700	3942	1255	5197	497

1	2	3	4	6	7	8
फरवरी, 2001						
1-10	4000	7000	4873	1330	6203	(–) 797
11-20	4000	7000	4176	1335	5511	(–) 1489
21-24	4000	4000	4434	1211	5645	1645
25-28	4000	7000	4434	1211	5645	(–) 1355
मार्च, 2001						
1-10	3000	3800	3230	1200	4430	630
11-20	3000	3000	1650	1200	2850	(–) 150
योग	**116550**	**132250**	**108524**	**29150**	**137674**	**5424**
क्यूसेक डेज	**1165500**	**1322500**	**1085240**	**291500**	**1376740**	**54240**
एम. ए. एफ.	**2.331**	**2.645**	**2.170**	**0.583**	**2.753**	**0.108**

21-9-2000 से 28-3-2001 तक का योग

*** इसमें 8.184 एम.ए.एफ. पानी जो आई.जी.एफ.एए. एफ. लि. से अनाधिकृत रूप से निकाला गया वह भी सम्मिलित है।**

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालय

210. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने चिकित्सालय हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में अब और कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय खोले जावेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टर, कम्पाउण्डर, तकनीशियन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद किस कारण से रिक्त हैं? सरकार अब इनको कब तक भर देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः टोडाभीम, नादौती, गढ़मोरा, गुढ़ाचन्द्रजी, केमला, सोप एवं कमालपुरा में कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 2001-2002 में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

(3) कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पशु चिकित्सालय

211. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में कितने पशु औषधालय हैं? क्या नये औषधालय भी खोले गये हैं? क्या उक्त क्षेत्र में कुछ ऐसे औषधालय भवन भी हैं जो चन्दा एकत्र कर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बनाये गये हैं? क्या सरकार जहां भवन नहीं है वहां भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र में कहां-कहां औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या उक्त पशु औषधालयों में वर्तमान चिकित्सक/कम्पाउण्डर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं और कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कोई पशु औषधालय नहीं है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में छः पशु चिकित्सालय क्रमशः बस्सी, तुंगा, बांसखो, कानोता, देवगढ़ एवं माधोपुरा में स्थित हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस क्षेत्र में चन्दा एकत्रित कर कोई भवन नहीं बनाया गया है। जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के स्थान पर दानदाताओं, गैर सरकारी संस्थान अथवा पंचायत के माध्यम से भवन उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में नवीन पशु औषधालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) जी हां। पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक एवं पशुधन सहायकों के सभी पद भरे हुए हैं।

विधान सभा क्षेत्र धोद में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

212. श्री अमराराम (धोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम धोद में पशुपालकों की सुविधा हेतु क्या सरकार पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्राम माण्डोता, लोसल छोटी एवं तासर बड़ी एवं रसीदपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम धोद में पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

(2) वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

समाचार पत्रों में विज्ञापन व्यय

213. श्री अमराराम (धोद) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेश व देश के हिन्दी और अंग्रेजी के दैनिक व साप्ताहिक अखबारों में विज्ञापन दिये गये? यदि हां, तो किन-किन अखबारों को विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अखबारों के नाम तथा व्यय राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया है)

पत्रकारों के स्वागत सत्कार पर व्यय

214. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में पत्रकारों के स्वागत-सत्कार के लिए राशि का प्रावधान है? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में कितनी राशि किस-किस पत्रकार एवं पत्रकारों के दल पर स्वागत-सत्कार में किस अधिकारी द्वारा व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वागत-सत्कार की उक्त राशि किस होटल एवं रेस्टोरेंट में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सत्कार पर व्यय सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अधिकारियों तथा जिलों में सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों द्वारा किया गया है। गत 3 वर्षों में किये गये व्यय का विवरण संलग्न है।

(2) स्वागत सत्कार के लिए सामान्यतः चाय व ठण्डा स्थानीय होटलों, रेंस्तराओं से मंगाये जाते हैं। बाहर से आने वाले पत्रकारों को आर.टी.डी.सी. के गेस्ट हाऊसों, सर्किट हाऊसों खासा कोठी तथा डाक बंगलों में ठहराया जाता है। इन्हीं एजेन्सियों को भुगतान किया गया है।

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)

पत्रकारों के स्वागत सत्कार पर गत तीन वर्षों में किया गया व्यय

वर्ष	मुख्यालय में किया गया व्यय	अधिनस्थ कार्यालयों में किया गया व्यय	कुल योग
1997-98	रु. 2,04615	1,55,363	3,59,978
1998-99	रु. 2,43,536	2,33,483	4,77,069
1999-2000	रु. 1,87,850	2,33,510	4,21,360

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में उपलब्ध वाहन

215. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में कुल कितनी कार, जीप उपलब्ध हैं और उपलब्ध वाहनों में कितनी काम आ रही हैं व कितनी बन्द हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्टेट मोटर गैराज में कितने-कितने अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कर रखे हैं? गाड़ी नम्बर व अधिकारी का नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्टेट मोटर गैराज द्वारा किस-किस मंत्री को कौन-कौनसी गाड़ी आवंटित कर रखी है? गाड़ी के नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में प्रत्येक मंत्री द्वारा उपभोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में कुल 136 कारें हैं। उपलब्ध वाहनों में 134 वाहन काम में आ रही हैं तथा 2 वाहनें दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बन्द पड़ी है। संख्या विवरण संलग्न हैं (परिशिष्ट "क")

(2) स्टेट मोटर गैराज में जिन-जिन अधिकारियों को वाहन उपलब्ध करा रखे हैं उनका गाड़ी नम्बर व अधिकारी का नाम पद सहित विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) स्टेट मोटर गैराज द्वारा जिन मंत्रीगण को गाड़ियां आवंटित कर रखी है उनका गाड़ी नम्बर मय विवरण संलग्न है. (परिशिष्ट "ग")

(4) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में दिसम्बर, 2000 तक प्रत्येक मंत्री द्वारा उपभोग की गई गाड़ी का व्यय विवरण संलग्न है (परिशिष्ट "घ")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बांसवाड़ा में औषधालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

216. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला बांसवाड़ा के आयुर्वेदिक औषधालयों के भवनों की मरम्मत के लिए कितनी राशि आवंटित हुई थी ?

(2) उक्त राशि जिन औषधालयों के लिए स्वीकृत हुई थी क्या वहां कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) स्वीकृत राशि के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं हो पाने के लिए कौन जिम्मेवार हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में बांसवाड़ा जिले में ग्राम पादरडी स्थित आयुर्वेद औषधालय के लिए 46400.00 रुपये भवन मरम्मत मद में आवंटित किये गये थे।

(2) जी नहीं। औषधालय भवन की रजिस्ट्री विभाग के नाम नहीं होने के कारण, आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जा सका है।

(3) उक्त परिस्थिति के कारण किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

जिला बांसवाड़ा में प्रस्तावित संस्कृत विद्यालय

217. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार अगले वर्ष संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ?

(3) जिला बांसवाड़ा के कितने गांवों में संस्कृत विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उत्तर

(1) राष्ट्र में राजस्थान का संस्कृत शिक्षा का बढ़ावा देने में अग्रणी स्थान है। संस्कृत के अध्ययन अध्यापन, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार को सर्वोपरि स्थान देते हुये प्रदेश में स्वतंत्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1958 में राज्य सरकार द्वारा की गयी।

वर्तमान में प्राथमिक से आचार्य स्तर की 1058 राजकीय एवं 231 अनुदानित एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थायें प्रचलित हैं। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 5 शिक्षा शास्त्री एवं 3 एस.टी.सी. (संस्कृत) संचालित हैं।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये जा रहे हैं। विगत तीन वर्षों में 306

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक संस्कृत विद्यालय/राजीव गांधी संस्कृत विद्यालय खोले गये तथा 172 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय क्रमोन्नत किये गये। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में आगामी वर्षों में संस्कृत विद्यालयों/ महाविद्यालयों को प्रदेश के सभी जिलों में जहां संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय नहीं है या आवश्यकता के अनुसार कम हैं क्रमोन्नत कर संस्कृत शिखा को व्यापक बनाया जावेगा।

संस्कृत के विद्यालयों को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जायेगा जिससे संस्कृत का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व आम जनता के सामने दिखाई दे। इन संस्थाओं की पहचान कायम की जायेगी। संस्कृत शिक्षा के बजट को आगामी वर्षों में बढ़ाया जायेगा जिससे संस्कृत विद्यालयों की साज-सज्जा को एवं शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में विभाग के प्रशासनिक ढांचे को बढ़ाने की योजना है। साथ ही संस्कृत के रचना कर्मियों को प्रोत्साहन देने तथा संस्कृत मे निहित विचारधाराओं परम्पराओं एवं जीवन दर्शन पद्धति को जन-जन तक पहुंचाने के लिये संस्कृत अकादमी के माध्यम से अभिनव साहित्य का प्रकाशन करवाया जा रहा है।

समय-समय पर संस्कृत के समुन्नयन विकास और विस्तार की सलाह हेतु गठित संस्कृत परामर्श मण्डल के सुझावों के अनुसार वित्तीय उपलब्धता के आधार पर अनुशंषाओं का क्रियान्वयन किया जावेगा।

मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा से अधिकाधिक छात्रों को लाभान्वित कराया जावेगा।

संस्कृत छात्रों को रोजगार के मार्ग प्रशस्त करने के लिये संस्कृत प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जायेगा।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने संस्कृत का स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसके माध्यम से संस्कृत में निहित ज्ञान विज्ञान के अध्ययन/अध्यापन और अनुसंधान की सुविधायें उपलब्ध कराई जावेगी। संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत परीक्षाओं का आयोजन करने के साथ-साथ वेदों, उपनिषदों एवं दर्शन में निहित ज्ञान विज्ञान पर विशेष रूप से शोध कराया जावेगा। वैदिक मंत्रों की एक-एक पंक्ति में निहित गूढ़ता को प्राचीन संस्कृत मनीषी एवं वैज्ञानिकों को साथ-साथ बैठाकर शोध कराने की योजना है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये निम्नानुसार योजनायें संचालित हैं :—

1. पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

2. संस्कृत अध्यापकों का अभिवन प्रशिक्षण।

3. संस्कृत दिवस का आयोजन।

4. अत्यन्त निर्धन पण्डितों को आर्थिक सहायता।

(2) जी हां, वित्तीय प्रावधानों की उपलबधता के आधार पर आगामी वर्ष में 8 वरिष्ठ उपा. संस्कृत विद्यालयों को शास्त्री स्तर, 10 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर तथा 25 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव हैं।

(3) जिला बांसवाड़ा में बजट पारित होने के उपरान्त विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।